



राजस्थान लोक सेवा आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन
2012-13





राजस्थान लोक सेवा आयोग

वार्षिक प्रतिवेदन

2012–2013

63वाँ

वार्षिक प्रतिवेदन

राजस्थान लोक सेवा आयोग

अप्रैल 1, 2012 से मार्च 31, 2013

राजस्थान लोक सेवा आयोग
अपना तिरेसठवाँ वार्षिक प्रतिवेदन
जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(2) द्वारा अपेक्षित है,
महामहिम राज्यपाल
को प्रस्तुत करता है।
यह प्रतिवेदन
अप्रैल 1, 2012 से मार्च 31, 2013 तक
की अवधि से सम्बन्धित है।

विषय-सूची

क्र.सं.		पृष्ठ संख्या
1.	आयोग	7
2.	आयोग—सचिवालय	9
3.	भवन	12
4.	आय—व्यय	12
5.	आयोग की बैठकें	13
6.	भर्ती— (क) साक्षात्कार सहित/रहित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा (ख) केवल साक्षात्कार पद्धति द्वारा	13 15
7.	भर्ती—प्रक्रिया में सुधार	16
8.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, विशेष योग्यजन एवं महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण	17
9.	विभागीय पदोन्नति समितियाँ एवं अन्य समितियाँ	17
10.	अस्थायी नियुक्तियों की अवधि—वृद्धि	18
11.	अनियमित नियुक्तियाँ	19
12.	अनुशासनात्मक प्रकरण एवं अपीलें	19
13.	सेवा नियम	19
14.	आयोग के परामर्श की अस्वीकृति	21
15.	विविध (क) भ्रमण — (I) अन्तर्राष्ट्रीय दल की यात्राएं (II) माननीय अध्यक्ष/सदस्यगण की यात्राएं (ख) पुस्तकालय (ग) ISO 9001:2008 प्रमाण पत्र (घ) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन प्रतिवेदन (ङ) सूचना प्रोटोकॉली — पहल एवं गतिविधियाँ 2012–13	21–23
16.	अभिस्वीकृति	24

परिशिष्ट

क्र.सं.		पृ.संख्या
1.	आयोग के कृत्य	26
2.	आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य—गण का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण	27
3.	(क) आयोग के निवर्तमान माननीय अध्यक्ष—गण की सूची (ख) आयोग के निवर्तमान माननीय सदस्य—गण की सूची	35
4.	(क) आयोग—सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारी (ख) वर्ष 2008–2009 से 2012–2013 तक सम्पादित कार्य का तुलनात्मक विवरण	37–38
5.	वर्ष 2011–2012 तथा 2012–2013 के अन्तर्गत हुई आय एवं व्यय का तुलनात्मक विवरण	39
6.	वर्ष 2012–13 के दौरान् आयोजित परीक्षाएं	40
7.	(क) अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी एवं गैर तकनीकी पद जिनकी अर्थनाएँ वर्ष 2012–13 के दौरान् प्राप्त हुई, का विवरण (ख) अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों का विवरण जिनके लिए वर्ष 2012–13 के दौरान् विज्ञापन जारी किये गए (ग) वर्ष 2012–13 के दौरान् साक्षात्कार द्वारा चयन (घ) पद विज्ञापित किये गये, किन्तु चयन अपूर्ण रहा (ङ) अभ्यर्थियों की न्यूनतम सूची हेतु आयोजित संवीक्षा परीक्षाएँ (च) पदों का विवरण जिनकी अर्थना विज्ञापन उपरान्त निरस्त की गई (छ) उन पदों का विवरण जिनके लिए साक्षात्कार आयोजिए किए गए परन्तु उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिले (ज) पद जिनके लिए आरक्षित सूची में से नाम अभिस्तावित किये गए (झ) पद विज्ञापित किये गए परन्तु किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया, का विवरण	41–65

8.	(क) विशेष योग्य जन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध अभिस्तावित अभ्यर्थियों का विभागानुसार विवरण (ख) आरक्षित पदों का विवरण जिनके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, के किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया	66–67
9.	चिरकालिक प्रकरण – विभागों द्वारा तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरणों के नियमन में विलम्ब	67
10.	शासन द्वारा पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध की गई एवं आयोग द्वारा अनुमोदित अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरण	68
11.	शासन द्वारा सीधी भर्ती एवं पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध की गई अस्थाई नियुक्तियों के प्रकरण जो सूचना के अभाव में लम्बित रहे	69
12.	शासन द्वारा सीधी भर्ती यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध की गई अस्थाई नियुक्तियों के प्रकरण जो सूचना के अभाव में लम्बित रहे	70
13.	अस्थाई नियुक्तियों की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् आयोग को विलम्ब से भेजे गए प्रकरण	70
14.	आयोग द्वारा निस्तारित विभिन्न सेवा नियमों/अनुसूचियों से सम्बन्धित प्रारूप संशोधन	71
	(क) नवीन सेवा नियमों के प्रारूप	72
15.	नवीन सेवा नियमों अथवा शासन द्वारा प्रख्यापित विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन	72
16.	सशस्त्र सैन्य बल/अर्द्ध सैन्य बल सेवा के मृत/स्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों के आश्रितों को विभिन्न पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने संबंधी नियम के अन्तर्गत आयोग को संदर्भित प्रकरणों की सूची	73
17.	डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र/परीक्षा को मान्यता देने सम्बन्धी आयोग को भेजे गये प्रकरण	74
18.	वर्ष 2012–2013 के दौरान् आयोजित परीक्षाएँ/साक्षात्कार/चयन संबंधी सूचना	75

.....

1. आयोग

राजस्थान राज्य का गठन राजपूताना के अन्तर्गत विद्यमान तत्कालीन रियासतों के विलीनीकरण एवं पार्ट-सी राज्य अजमेर-मेरवाड़ा को सम्मिलित करते हुए हुआ। राजस्थान के गठन की प्रक्रिया के समय लोक सेवा आयोग जैसी संस्था तत्समय विद्यमान 22 राज्यों में से मात्र तीन राज्यों जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में अस्तित्व में थी।

रियासतों के विलय के उपरान्त दिनांक 16 अगस्त, 1949 को राजस्थान के तत्कालीन राजप्रमुख द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु ऑर्डर्नेन्स जारी किया गया जो कि दिनांक 20.08.1949 को प्रकाशित हुआ किन्तु दिनांक 22 दिसम्बर, 1949 को आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् ही राजस्थान लोक सेवा आयोग विधिवत रूप से अस्तित्व में आया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन तथा अनुच्छेद 316 में आयोग के माननीय सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान दिये गये हैं।

1.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में विनिर्दिष्ट आयोग के कृत्य परिशिष्ट-1 में दिये गये हैं।

1.2. आयोग की संरचना वर्ष के दौरान् निम्न प्रकार थी:-

1. डॉ. हबीब खान गौराण, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त) (दिनांक 31.08.2012 को मध्याह्न पश्चात् कार्यभार ग्रहण किया)

अध्यक्ष



2. प्रो. बी.एम. शर्मा (दिनांक 31.08.2012 को मध्याह्न पश्चात् सेवा निवृत्त)

अध्यक्ष



3. श्री शिवपाल सिंह नांगल

सदस्य



4. श्री कन्हैयालाल बेरवाल, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त)

सदस्य



5. प्रोफेसर पी. के. दशोरा

सदस्य



6. श्री ब्रह्मसिंह गुर्जर

सदस्य



7. डॉ. हबीब खान गौराण, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त)

सदस्य

(दिनांक 31.08.2012 को माननीय अध्यक्ष के पद पर कार्यग्रहण किया)



8. श्रीमती दिव्या सिंह

सदस्य

(दिनांक 30.10.2012 को त्याग-पत्र दिया)



1.3 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक आयोग में माननीय सदस्य के तीन पद रिक्त रहे।

1.4 आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य-गण का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है।


1.5 आयोग के निर्वर्तमान माननीय अध्यक्ष-गण एवं माननीय सदस्य-गण की सूची (पदावधि सहित) परिशिष्ट-3 (क) एवं (ख) में दी गई है।

1.6 शासन के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.8(4)डीओपी/क-2/2011 दिनांक 27.06.2011 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1974 के विनियम 3 के उपविनियम (1) में विद्यमान शब्द ‘पांच’ के स्थान पर शब्द ‘सात’

प्रतिस्थापित किया गया अर्थात् सदस्यों की अधिकतम् संख्या पांच के स्थान पर सात कर दी गई ।

2. आयोग—सचिवालय

- 2.1 आयोग सचिवालय के मुखिया भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं ।
- 2.2 डॉ. के.के. पाठक, आई.ए.एस. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के प्रारम्भ से अंत तक आयोग के सचिव पद पर आसीन रहे ।
- 2.3 1 अप्रैल, 2012 एवं 31 मार्च, 2013 को आयोग—सचिवालय के अधिकारी/कर्मचारी—वर्ग की स्वीकृत संख्या का विवरण परिशिष्ट-4 (क) में दिया गया है ।
- 2.4 आयोग सचिवालय का संगठनात्मक ढाँचा निम्न प्रकार है :-



2.5 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् निम्न पदों के नव—सृजन/क्रमोन्नयन के प्रस्ताव शासन को भेजे गये :—

क. आयोग परिसर स्थित अतिथि गृह हेतु

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	अनुभाग अधिकारी (गेस्ट हाउस) प्रबंधक स्तर का	01	नवसृजन
2	सहा. अनुभाग अधिकारी (गेस्ट हाउस) वरिष्ठ हाउस कीपर के स्तर का प्रत्येक शिफ्ट हेतु	04	नवसृजन
3	वरिष्ठ लिपिक (गेस्ट हाउस) हाउस कीपर के स्तर का	02	नवसृजन
4	हैड वेटर	01	नवसृजन
5	वेटर	06	नवसृजन
6	कुक	03	नवसृजन
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	15	नवसृजन
8	स्वीपर	03	नवसृजन
9	बागवान	02	नवसृजन
10	इलेक्ट्रिशियन	02	नवसृजन
	योग :	39	

ख. आयोग कार्यालय हेतु

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	विशेषाधिकारी (अकादमिक)	01	नवसृजन
2	उप सचिव	03	नवसृजन
3	सहायक सचिव	06	नवसृजन
4	निजी सचिव	02	नवसृजन
5	वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष (पुस्तकालयाध्यक्ष से क्रमोन्नत कर)	01	क्रमोन्नत
6	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	02	नवसृजन
7	अनुभाग अधिकारी	12	नवसृजन
8	अतिरिक्त निजी सचिव	01	नवसृजन
9	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	नवसृजन
10	सहायक लेखाधिकारी	01	नवसृजन
11	मूल्यांकन अधिकारी (अनुसंधान सहायक से क्रमोन्नत कर)	01	क्रमोन्नत
12	प्रोग्रामर	03	नवसृजन
13	सहायक अनुभाग अधिकारी	26	नवसृजन
14	शीघ्र लिपिक	06	नवसृजन
15	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (कैटलॉगर से क्रमोन्नत कर)	01	क्रमोन्नत
16	सहायक प्रोग्रामर (सूचना सहायक से क्रमोन्नत कर)	01	क्रमोन्नत
17	सहायक प्रोग्रामर	02	नवसृजन
18	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	नवसृजन
19	वरिष्ठ लिपिक	38	नवसृजन
20	सूचना सहायक	05	नवसृजन
21	कनिष्ठ लिपिक	65	नवसृजन
22	वाहन चालक	08	नवसृजन

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
24	मशीनमैन	02	नवसृजन
25	पम्प ड्राइवर	02	नवसृजन
26	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	57	नवसृजन

2.6 आयोग के अधिकारी/कर्मचारी वर्ग में गत वर्ष तक की स्वीकृत संख्या के अतिरिक्त निम्नलिखित पदों को उनके समुख अंकित दिनांक से नव-सृजन/क्रमोन्नत किया गया :—

क्र0सं0	पद का नाम	पे—बैण्ड	ग्रेड—पे	पदों की संख्या	नवसृजन/क्रमोन्नयन	स्वीकृति दिनांक
1	विशेषाधिकारी (अकादमिक)	37400—67000	9000	01	नवसृजन	07.03.13
2	उप सचिव	15600—39100	7600	01	नवसृजन	28.12.12
3	व.पुस्तकालयाध्यक्ष (डाईग नेचर पोस्ट)	15600—39100	6600	01	पुस्तकालयाध्यक्ष पद से क्रमोन्नत	26.06.12
4	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	15600—39100	6600	01	नवसृजन (दिनांक 01.04. 12 से स्वीकृत)	08.11.12
5	वरिष्ठ विधि अधिकारी	9300—34800	4200	01	नवसृजन	28.12.12
6	मूल्यांकन अधिकारी	9300—34800	4200	01	अनुसंधान सहायक पद से क्रमोन्नत	19.03.13
7	सहायक अनुभागाधिकारी	9300—34800	3600	06	नवसृजन	18.07.12
8	शीघ्र लिपिक	9300—34800	3200	03	नवसृजन	18.07.12
9	सहायक प्रोग्रामर	9300—34800	3200	01	सूचना सहायक पद से क्रमोन्नत	26.06.12
10	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (डाईग नेचर पोस्ट)	9300—34800	3200	01	कैटलॉगर पद से क्रमोन्नत	26.06.12
11	वरिष्ठ लिपिक	5200—20200	2400	10	नवसृजन	18.07.12
12	वाहन चालक	5200—20200	1900	03	नवसृजन	18.07.12
13	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4750—7440	1300	02	नवसृजन	28.12.12

2.7 शासन के कार्मिक (क—2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2)डीओपी/ए-II/2006 दिनांक 15.02.2013 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा) नियम तथा विनियम 1999 में संलग्न अनुसूची— I में संशोधन किया जाकर वरिष्ठ निजी सहायक पदनाम को अतिरिक्त निजी सचिव पदनाम से संशोधित किया गया। शासन के कार्मिक (क—2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(1)डीओपी/ए-II/82 दिनांक 23.10.2012 द्वारा विधि सहायक के पदनाम को कनिष्ठ विधि अधिकारी पदनाम से प्रतिस्थापित किया गया।

2.8 शासन के कार्मिक (क—2) विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक प8(2) कार्मिक/क—2/2002 दिनांक 12.04.12 द्वारा आयोग में स्वीकृत निम्नांकित अस्थाई पदों को स्थाई किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई :—

1. उप सचिव (आर.ए.एस) 01 पद
2. सूचना सहायक 01 पद
3. वेटर 01 पद
4. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 05 पद

- 2.9 प्रतिवेदनाधीन वर्ष में शासन ने निम्नलिखित अस्थाई पदों की अवधि दिनांक 28.02.2014 तक किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय की स्वीकृति भिजवाई है :—

क्र.सं.	पद नाम	पदों की संख्या
1	उप सचिव	1
2	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1
3	सिस्टम एनालिस्ट	1
4	सहायक सचिव	1
5	अनुभाग अधिकारी	2
6	सदस्य—सचिव (राज्य— पात्रता परीक्षा)	1
7	कनिष्ठ विधि अधिकारी	1
8	सूचना सहायक	4
9	कनिष्ठ लिपिक	6
10	वाहन चालक	2
11	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
योग :		20

संविदा आधार पर :

1	ई.पी.ए.बी.एक्स. ऑपरेटर	1
2	इलेक्ट्रिशियन	1
3	जेनरेटर ऑपरेटर	1
4	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5
	योग :	8

- 2.10 आलोच्य वर्ष की समाप्ति पर पूर्ण हुए विगत पाँच वर्षों में किये गये कार्यों का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट—4(ख) में दिया गया है ।

3. भवन


- 3.1. आयोग—सचिवालय का कार्यालय घूघरा घाटी, जयपुर रोड़, अजमेर में अपने भवन में स्थित है।

4. आय—व्यय

- 4.1. आयोग की आय का मुख्य स्रोत आवेदन शुल्क है जो कि जिला ई—गवर्नेंस सोसाइटी एवं नेट बैंकिंग द्वारा ऑनलाईन संग्रहित किया जाता है। आयोग के व्यय की मुख्य मदों में प्रशासनिक व्यय एवं परीक्षा/संवीक्षा परीक्षा आयोजन पर होने वाला खर्च सम्मिलित है। प्रतिवर्ष राज्य के वित्त विभाग द्वारा आयोजित बजट फाईनलाईजेशन कमेटी की बैठक में निर्धारित किये गये प्रावधानों के अनुरूप विभिन्न मद/वर्ग पर व्यय किया जाता है।
- 4.2. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् तथा विगत दो वर्षों के आय—व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आय	व्यय
2010-2011	1618.00	1746.98
2011-2012	2574.00	2678.68
2012-2013	525.00	2501.54



- 4.3 वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के अन्तर्गत हुई आय एवं व्यय का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट—5 में दिया गया है।

5. आयोग की बैठकें

- 5.1. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण प्रकरणों पर निर्णय लेने हेतु, सम्पूर्ण आयोग की 12 बैठकें निम्नलिखित दिनांक को आयोजित की गई :—

क्रम सं.	बैठकों की दिनांक
1	28.06.2012
2	09.07.2012
3	24.07.2012
4	26.09.2012
5	09.10.2012
6	23.11.2012
7	04.12.2012
8	19.12.2012
9	26.12.2012
10	07.01.2013
11	05.02.2013
12	01.03.2013

6. भर्ती

- 6.1 लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन कर उपलब्ध कराना है। जहाँ तक विभिन्न सेवाओं के लिए योग्यतम व्यक्तियों के चयन का प्रश्न है, इस हेतु लोक सेवा आयोग से उच्च कार्य दक्षता, गुणवत्ता, उद्देश्यपरकता एवं पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है। चयन प्रक्रिया को एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण करना आयोग के समक्ष चुनौतीपूर्ण कार्य है। अर्थना प्राप्ति से लेकर अभिस्तावना तक चयन के विभिन्न स्तर होते हैं। आयोग को विभिन्न परीक्षाओं हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन—पत्रों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। अभ्यर्थियों की लगातार बढ़ती संख्या के परिप्रेक्ष्य में नवीनतम तकनीक का उपयोग एवं बेहतर प्रबंधन आवश्यक है। अर्थना प्राप्ति से लेकर अभिस्तावना तक लगने वाले समय को कम करने के लिए आयोग द्वारा यथेष्ट प्रयास किये गये हैं। आयोग द्वारा ऑन—लाईन आवेदन प्रक्रिया आरंभ की गई है।
- 6.2 आयोग द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप चयन प्रक्रिया मुख्यतः दो प्रकार से पूर्ण की जाती है – (प्रथम) साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से एवं (द्वितीय) साक्षात्कार सहित अथवा रहित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा। साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के ऐसे मामलों में जहाँ अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से संवीक्षा परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।
- 6.3 **साक्षात्कार बोर्ड** :— प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा विभिन्न पदों/सेवाओं के लिये 229 बोर्डों का गठन कर 4640 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिये गये। एक एवं दो बोर्ड द्वारा क्रमशः 147 एवं 82 दिनों तक अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लिये गये।

(क) साक्षात्कार सहित अथवा रहित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा :

- 6.4 शासन से अर्थनाएँ प्राप्त होने पर आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं/पदों पर भर्ती हेतु लगभग 24 श्रेणी की परीक्षाएँ आयोजित की जाती है, जो निम्न प्रकारे रहे :—

क्रम सं	सेवाओं/पदों का नाम
(1)	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
(2)	राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा
(3)	राजस्थान वन सेवा/रेञ्जर्स (ग्रेड- II) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
(4)	सहायक अभियन्ता (सिविल/यांत्रिकी/विद्युत) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
(5)	श्रम कल्याण अधिकारी/श्रम निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा

(6)	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा
(7)	प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा
(8)	विधि सहायक प्रतियोगी परीक्षा
(9)	विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा
(10)	उप-निरीक्षक, आरक्षी, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
(11)	शीघ्रलिपिक प्रतियोगी परीक्षा
(12)	लेखाकार / कनिष्ठ लेखाकार / तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा
(13)	मोटर वाहन, उप-निरीक्षक प्रतियोगी परीक्षा
(14)	सहायक कारापाल प्रतियोगी परीक्षा
(15)	कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा
(16)	नर्स (ग्रेड- ॥) प्रतियोगी परीक्षा
(17)	छात्रावास अधीक्षक (समाज कल्याण विभाग हेतु) प्रतियोगी परीक्षा
(18)	कम्पाउण्डर / नर्स (जूनियर ग्रेड) प्रतियोगी परीक्षा (आयुर्वेद विभाग हेतु)
(19)	वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी) प्रतियोगी परीक्षा (माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु)
(20)	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड – ॥ प्रतियोगी परीक्षा (माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु)
(21)	सूचना सहायक प्रतियोगी परीक्षा (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग हेतु)
(22)	अध्यापक (द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी) प्रतियोगी परीक्षा (संस्कृत शिक्षा विभाग हेतु)
(23)	प्रधानाध्यापक (माध्यमिक) प्रतियोगी परीक्षा, (माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु)
(24)	प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, (माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु)

6.5 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएँ, पदों की संख्या, आवेदकों की संख्या, परीक्षा में उपस्थित, साक्षात्कार लिये गये एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों की सूचना, परिशिष्ट-18 में दी गई है।


6.6 वर्ष के दौरान आयोजित परीक्षाओं का विवरण परिशिष्ट 6 में दिया गया है।

6.7 वर्ष के दौरान् आयोजित परीक्षा के अन्तर्गत सम्मिलित पद/सेवा का उल्लेख निम्नानुसार है।

वर्ष 2012–13 के दौरान् आयोजित परीक्षाओं के अन्तर्गत सम्मिलित पदों/सेवाओं का विवरण

क्रम संख्या	पद/सेवा का नाम
1	कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (द्वितीय चरण) (दि. 17.03.2012 को पुनः परीक्षा)
2	प्रोग्रामर परीक्षा
3	प्रधानाध्यापक माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु
4	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड – ॥।।। प्रतियोगी परीक्षा
5	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड – ॥।। प्रतियोगी परीक्षा
6	सहायक वन संरक्षक
7	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा
8	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारम्भिक), 2012 (भौतिक विज्ञान विषय की पुनः परीक्षा)
9	राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा

प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या
 (साक्षात्कार सहित अथवा रहित प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भर्ती)




- 6.8 **आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से विवर्जित अभ्यर्थी** :- प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान्, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं/संवीक्षा परीक्षाओं में अनुचित तरीके अपनाए जाने का कोई भी प्रकरण नहीं पाया गया।

(ख) केवल साक्षात्कार पद्धति द्वारा :

- 6.9 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् 55 अर्थनाओं में सम्मिलित 1141 पदों के विरुद्ध भर्ती का कार्य पूर्ण किया गया। उन पदों का, जिनके लिए भर्ती का कार्य पूर्ण किया गया, विवरण परिशिष्ट-7(ग) मद संख्या 1 से 55 में दिया गया है। इसका सारांश निम्नानुसार है :—

कार्य पूर्ण किया गया		अभ्यर्थियों की संख्या		
संख्या		आवेदक	साक्षात्कार लिया गया	चयनित
अर्थनाएँ	पद सम्मिलित			
55	1141	37991	2617	889

केवल साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती



- 6.10 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् आयोग को 600 पदों हेतु 26 अर्थनाएँ प्राप्त हुई। इनमें से 127 पदों हेतु 10 अर्थनाएँ शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया एवं आरक्षण के सम्बन्ध में दोषपूर्ण होने के करण राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों से पत्राचार किया गया। 59 पदों हेतु 04 अर्थनाएँ दोषपूर्ण होने के करण सम्बन्धित विभागों को लौटाई गई। इस प्रकार शेष रही 12 अर्थनाओं में सम्मिलित 414 पदों में से 411 पदों हेतु 11 अर्थनाओं के लिए विज्ञापन जारी किये गये एवं 3 पदों हेतु 1 अर्थना विज्ञापन हेतु लम्बित एवं प्रक्रियाधीन है।


- 6.11 प्रतिवेदनाधीन वर्ष में प्राप्त अर्थनाओं के विरुद्ध विज्ञापित पदों का विभागानुसार/वर्गवार विवरण परिशिष्ट 7 – ख में दिया गया है।

- 6.12 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् आयोग ने आरक्षित सूचियों से 18 अभ्यर्थियों के नाम शासन को अभिस्तावित किये, जिनका विवरण परिशिष्ट 7 – ज में दिया गया है।

- 6.13 अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी एवं गैरतकनीकी पदों जिनके लिए अर्थनाएं वर्ष 2012–13 के दौरान् प्राप्त हुई, का विवरण परिशिष्ट 7 – क में दिया गया है।

6.14 संवीक्षा परीक्षाएँ :— आयोग ने विभिन्न विभागों के 915 पदों हेतु आवेदकों की छँटनी करने के लिये 33 संवीक्षा परीक्षाएँ आयोजित की। आयोजित संवीक्षा परीक्षाओं का विवरण परिशिष्ट-7(ड) में दिया गया है।

आयोजित संवीक्षा परीक्षाएँ एवं प्रतियोगी परीक्षाएँ



6.15 विज्ञापित पदों की सूची जिनके लिये वर्ष के अन्त तक चयन का कार्य अपूर्ण रहा, की सूचना परिशिष्ट 7 – घ में दी गई है।

6.16 ऐसे पदों की सूचना जिनके लिये कोई भी अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाये गये एवं ऐसे पद जिनके लिये किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया, की सूचना परिशिष्ट 7 – छ एवं झ में दी गई है।

6.17 व्याख्याताओं हेतु राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) :— प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा दिनांक 26.08.2012 को राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, 2012 का आयोजन किया गया। उक्त परीक्षा हेतु कुल 83,678 प्रार्थना—पत्र प्राप्त हुए एवं कुल 63,037 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। उक्त परीक्षा 28 विषयों हेतु अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर एवं जयपुर केन्द्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा परिणाम वर्ष के अंत तक प्रक्रियाधीन रहा।

7. भर्ती—प्रक्रिया में सुधार

- 7.1. पाठ्यक्रमों की समीक्षा, संशोधन एवं संरचना :— आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं संवीक्षा परीक्षाओं हेतु विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों की समीक्षा, संशोधन एवं संरचना का कार्य एक सतत प्रक्रिया बन गई है। इस उद्देश्य से, आयोग द्वारा प्रतिष्ठित विषय—विशेषज्ञों को कार्यशालाओं/विचार—गोष्ठियों में भाग लेने हेतु आमन्त्रित किया जाता है।
- 7.2. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा निम्नलिखित 05 श्रेणी के पदों/विषयों के पाठ्यक्रमों का निर्माण, समीक्षा अथवा संरचना का कार्य गणमान्य विषय—विशेषज्ञों द्वारा करवाया गया :—

क्र. सं.	विभाग का नाम/पद	पुनरीक्षित/नव सृजित
1	सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग	नव सृजित
2	मूल्यांकन अधिकारी, आयोजना विभाग	नव सृजित
3	अधीक्षक, आई.टी.आई	पुनरीक्षित
4	संचियकी अधिकारी, आयोजना विभाग	पुनरीक्षित
5	ग्रुप अनुदेशक/सर्वेयर, आई.टी.आई.	नव सृजित

8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन एवं महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण

(क) परीक्षा द्वारा भर्ती—साक्षात्कार सहित अथवा रहित :

- 8.1. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी. हेतु आरक्षण दिनांक 28.9.1993 से) (विशेष पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण दिनांक 25.08.2009 से) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण क्रमशः 16, 12, 21 एवं 1 प्रतिशत भाग निर्धारित किया गया है। महिला अभ्यर्थियों हेतु सीधी भर्ती में 30 प्रतिशत रिक्तियाँ आरक्षित की गई हैं। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण, वे जिस वर्ग से सम्बन्धित हैं, उस अनुपात से समायोजित की जाती है तथा यह आरक्षण क्षितिजीय माना जायेगा। (महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 07.06.1999 को जारी एवं दिनांक 01.04.1999 से प्रभावी हुई)। इसी भाँति, सीधी भर्ती में विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों के लिये 3 प्रतिशत रिक्तियों का आरक्षण रखा गया है, जो कि क्षितिजीय माना जायेगा तथा सभी श्रेणियों में से समायोजित किया जायेगा (विशेष योग्य जन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 22–09–2000 को जारी तथा इसी दिनांक से प्रभावित हुई)

(ख) केवल साक्षात्कार द्वारा भर्ती :

- 8.2 केवल साक्षात्कार द्वारा भर्ती के मामले में आयोग ने निम्नानुसार अभ्यर्थी चयनित एवं अभिस्तावित किये :—

श्रेणी	आरक्षित पदों की संख्या				अभिस्तावित अभ्यर्थियों की संख्या				योग	
	पुरुष	महिला	(निःशक्त—जन)		योग	पुरुष	महिला	(निःशक्त—जन) *		
			पु.	म.				पु.	म.	
अ.जा.	170	43	15	0	228	90	36	1	0	127
अ.ज.जा.	147	41	0	0	188	56	33	0	0	89
अ.पि.व.	133	33	0	1	167	187	67	3	0	257
वि.पि.व.	4	0	0	0	4	10	0	1	0	11
सामान्य	413	141	0	0	554	239	157	7	2	405
योग :	867	258	15	1	1141	582	293	12	2	889

* निःशक्त जन एवं महिला अभ्यर्थी सभी श्रेणियों में से।


- 8.3 विशेष योग्य जन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध अभिस्तावित अभ्यर्थियों का विभागानुसार विवरण परिशिष्ट 8 (क) में दिया गया है।

9. विभागीय पदोन्नति समितियाँ एवं अन्य समितियाँ

- 9.1. आयोग ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणी के पदों पर कार्यरत 18768 व्यक्तियों की तदर्थ/अरथाई नियुक्तियों को नियमित करने हेतु 304 अवसरों पर विभागीय पदोन्नति समितियों की बैठकें आयोजित कीं। इनमें प्रकरणों की सर्वाधिक संख्या माध्यमिक शिक्षा विभाग (80) एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (53) थी।
- 9.2 41 अवसरों पर 3079 पदधारकों को नियमित करने हेतु पुनर्विलोकन/नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का आयोजन किया गया। इनमें प्रकरणों की सर्वाधिक संख्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (07) एवं वित्त विभाग (06) थी।
- 9.3 82 अवसरों पर 8521 पदधारकों को नियमित करने हेतु पुनर्विलोकन समितियों की बैठकें भी आयोजित हुईं। इनमें प्रकरणों की सर्वाधिक संख्या चिकित्सा शिक्षा विभाग (12) एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग (10) थी।
- 9.4 30 अवसरों पर 1442 पदधारकों को नियमित करने हेतु संवीक्षा समितियों की बैठकें भी आयोजित की गईं।

डी.पी.सी. द्वारा आयोजित बैठकें एवं आशार्थियों की संख्या

31810



10. अस्थायी नियुक्तियों की अवधि-वृद्धि

- 10.1. अस्थायी नियुक्तियों की अवधि में वृद्धि हेतु आयोग की सहमति प्राप्त करने के लिये संदर्भित किये गये तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरणों का प्रतिवर्ष उल्लेख किया जाता है। 5 वर्ष से एवं कतिपय मामलों में 10 वर्ष से भी अधिक समय से चले आ रहे तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरणों की स्थिति से शासन को भी इस आशय से अवगत कराया गया था कि शासन द्वारा इन मामलों को नियमित करने में तीव्रगामी कदम लिये जायेंगे। वर्ष के दौरान् पदोन्नति द्वारा चयन करने हेतु विभागीय पदोन्नति समितियों की कई बैठकें आयोजित करने के उपरान्त भी इस वर्ष तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों की स्थिति को संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। ऐसी तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों की दीर्घकालिक मामलों की एक दृष्टान्तक सूची परिशिष्ट-9 में दी गई है।
- 10.2 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान्, सीधी भर्ती यथांश (कोटा) द्वारा भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध 394 व्यक्तियों की अस्थायी नियुक्तियों की अवधि-वृद्धि हेतु आयोग की सहमति प्रदान की गई, इनका विवरण परिशिष्ट-11 में दिया गया है।
- 10.3 इस प्रकार, ऐसे सभी तदर्थ/अस्थायी नियुक्त व्यक्तियों की कुल संख्या, जिनकी नियुक्ति सीधी भर्ती एवं पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध की गई थी, विगत वर्ष की 289 की तुलना में प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् 613 हो गई। आशा है कि शासन द्वारा ऐसी नियुक्तियों को प्रतिबंधित करने हेतु उचित कार्यवाही की जाएगी।
- 10.4 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान्, पदोन्नति यथांश (कोटा) द्वारा भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध 219 व्यक्तियों की अस्थायी नियुक्तियों की अवधि-वृद्धि हेतु आयोग की सहमति प्रदान की गई, इनका विवरण परिशिष्ट-10 में दिया गया है।
- 10.5 अत्यावश्यक तदर्थ नियुक्तियों के मामले में आयोग की सहमति प्राप्त करने के लिये संदर्भित करते समय, कतिपय नियुक्त प्राधिकारी, स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना सहित अर्थनाएँ निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने सम्बन्धी विशिष्ट निर्देशों के उपरान्त भी निर्धारित प्रपत्र में सूचना भेजने में असफल रहे। फलस्वरूप, इन प्रकरणों में अत्यधिक विलम्ब हुआ। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान्, सीधी भर्ती/पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध नियुक्त हेतु 7 अपूर्ण मामले, 85 व्यक्तियों से सम्बन्धित विगत वर्ष एवं 3 अपूर्ण मामले 589 व्यक्तियों से सम्बन्धित आलोच्य वर्ष में आयोग को संदर्भित किये गये। इस सूची का उल्लेख परिशिष्ट – 12 में किया गया है।
- 10.6 आयोग द्वारा यह भी दृष्टिगत किया गया कि कुछ नियुक्त प्राधिकारी तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरणों में आयोग की सहमति प्राप्त करने हेतु प्रकरण समय पर भेजने में असफल रहे। ऐसे देरी से भेजे गये प्रकरणों की सूची परिशिष्ट – 13 में दी गई है।


11. अनियमित नियुक्तियाँ

- 11.1. प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् अनियमित नियुक्ति का कोई भी प्रकरण आयोग के समक्ष नहीं आया ।

12. अनुशासनात्मक प्रकरण एवं अपीलें

- 12.1. अनुशासनिक प्रकरण :— दिनांक 1–4–2012 को आयोग के पास 16 प्रकरण लम्बित थे। वर्ष के दौरान् 34 प्रकरण आयोग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 50 मामले हुए। आयोग ने 35 प्रकरणों पर अपना परामर्श दिया। वर्ष की समाप्ति पर आयोग के पास 15 प्रकरण लम्बित थे, जिनमें से 1 प्रकरण शासन से जानकारी चाहने हेतु तथा 10 प्रकरण आयोग के विचाराधीन रहे। प्रतिवेदनाधीन वर्ष में प्राप्त 3 प्रकरण एवं विगत वर्ष में प्राप्त 1 प्रकरण आयोग के परिक्षेत्र से बाहर होने से आयोग का परामर्श नहीं दिया गया एवं शासन को लौटा दिये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 10 प्रकरण आयोग के विचाराधीन शेष रहे।

- 12.2. शासन द्वारा 06 प्रकरणों पर (यथा—01 वर्तमान वर्ष के + 05 प्रकरण विगत वर्षों के) आयोग के परामर्श से सहमति व्यक्त की गई।



- 12.3 अपील/पुनर्विलोकनार्थ विभागीय जाँच के प्रकरण :— प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान्, विभागीय जाँच के पुनर्विलोकन का कोई प्रकरण आयोग को प्राप्त नहीं हुआ। अपील सम्बन्धी कोई मामला भी आयोग को प्राप्त नहीं हुआ।

- 12.4 वाद/याचिकाएँ :— प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान्, विगत वर्षों के 2657 तथा इस वर्ष के 1163 प्रकरण मिलाकर कुल 3820 प्रकरण सिविल वाद/परिवाद/याचिकायें/अपीलें/डी.बी. सिविल विशेष अपीलें/एस.एल.पी. आदि जो कि सिविल न्यायालयों/उच्च न्यायालय/सेवा प्राधिकरण/उच्चतम न्यायालय/ राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग/जिला उपभोक्ता मंचों आदि में दायर किये गये थे, लम्बित थे। न्यायालयों द्वारा कुल 940 वाद आलोच्य वर्ष में निर्णीत किये गये। इस प्रकार कुल 2880 प्रकरण न्यायालय के निर्णय हेतु विचाराधीन रहे।


13. सेवा नियम

- 13.1 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न सेवा नियमों से सम्बन्धित 218 नियमों/अनुसूचियों के प्रारूप संशोधन आयोग को उनकी टिप्पणी हेतु संदर्भित किये गये थे, इन सभी 218 प्रारूप संशोधनों पर टिप्पणी कर पुनः शासन को प्रेषित कर दिये गये। इसका विवरण परिशिष्ट – 14 में दिया गया है।
- 13.2 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने 2 नवीन सेवा नियमों के प्रारूपों का भी परीक्षण कर निस्तारण किया, इनका उल्लेख भी परिशिष्ट-14-क में किया गया है।
- 13.3 शासन ने 38 नवीन सेवा नियम एवं सेवा नियम/विनियमों में संशोधन प्रख्यापित किये, जिसका विवरण परिशिष्ट-15 में दर्शाया गया है।

- 13.4 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् आयोग द्वारा डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण—पत्र/परीक्षा की मान्यता हेतु 01 प्रकरण निस्तारित किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट—17 में दर्शाया गया है।
- 13.5 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् सशस्त्र सैन्य बल/अर्द्ध—सैन्य बल सेवा के मृत/स्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी 03 प्रकरण आयोग को उनकी सहमति हेतु प्राप्त हुए। इन प्रकरणों का संबंधित सेवा नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण किया गया एवं 01 प्रकरण में आयोग की सहमति प्रदान की गई। 01 प्रकरण आयोग के विचाराधीन रहा। अन्य एक प्रकरण में वर्ष के अन्त तक शासन से पत्र व्यवहार जारी था। इन प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट—16 में दिया गया है।
- 13.6 इसके अतिरिक्त प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग की पूर्व सहमति के बिना शासन द्वारा अधिसूचना संख्या एफ2(5)डी.ओ.पी./क—2/90 दिनांक 30.10.12 जारी कर राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 में संशोधन किया गया।
- 13.7 आयोग की पूर्व सहमति के बिना शासन द्वारा उक्त अधिसूचना जारी करने के कारण/परिस्थितियों के संबंध में आयोग द्वारा पत्र दिनांक 12.02.13 को जारी कर जानकारी चाही गई।
- 13.8 शासन ने इस संबंध में दिनांक 28.02.2013 को पत्र प्रेषित कर उनकी स्थिति स्पष्ट की एवं आयोग ने उन परिस्थितियों पर विचार करते हुए अपनी आंशिक सहमति देने का निर्णय लिया एवं शासन को पत्र दिनांक 04.04.2013 द्वारा आयोग की आंशिक सहमति से अवगत करवाया गया।
- 13.9 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने पत्र दिनांक 11.07.2012 जारी कर राजस्थान अधीनस्थ कृषि सेवा नियम, 1978 में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर सहमति प्रदान करने से मना किया गया।
- 13.10 माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार से प्राप्त पत्र के द्वारा उन्होंने आयोग से अनुरोध किया कि आयोग राजस्थान अधीनस्थ सेवाओं के चयन की प्रक्रिया के अन्तर्गत साक्षात्कार को हटाने के संबंध में उनके अभिमत पर पुनः विचार करें।
- 13.11 उपर्युक्त प्रकरण पर सम्पूर्ण आयोग की बैठक में दिनांक 26.09.2012 को विचार किया गया एवं यह निर्णय किया गया कि माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को अवगत कराया जाए कि उक्त प्रकरण शासन के पत्र क्रमांक एफ17(16)डी.ओ.पी./क—2/10 दिनांक 07.06.11 के द्वारा गठित समिति को संदर्भित किया जा सकता है।
- 13.12 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान शासन ने दिनांक 20.03.2012 को राजस्थान सिविल सेवाएं (विज्ञान एवं तकनीकी विभाग में परियोजना अधिकारियों एवं अनुसंधान अधिकारियों के विशिष्ट चयन एवं सेवा की विशिष्ट शर्तें) नियम, 1986 में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की।
- 13.13 आयोग द्वारा दिनांक 03.07.2012 को पत्र जारी कर शासन से उक्त अधिसूचना जारी करने के कारण/परिस्थितियों के संदर्भ में जानकारी चाही गई।
- 13.14 शासन के कार्मिक (क—2) ने सूचित किया कि उक्त नियमों में सम्मिलित पद, पदावधि के आधार पर भरे जाने हैं। अतः आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है एवं अनुरोध किया कि आयोग अपनी टिप्पणी से अवगत कराए।
- 13.15 आयोग के पत्र दिनांक 02.11.2012 द्वारा शासन को सूचित किया गया कि अधिसूचना दिनांक 20.03.2012 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत जारी की गई थी। अतः पूर्व परिपाठी के अनुसार अधिसूचना जारी करने से पूर्व आयोग की सहमति आवश्यक है।
- 13.16 शासन को इस संदर्भ में वास्तविक स्थिति से अवगत कराने हेतु सूचित किया गया। वर्ष की समाप्ति तक शासन का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित था।
- 13.17 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा उनके पत्र दिनांक 13.02.13 द्वारा राजस्थान आयुर्वेदिक, होम्योपेथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 में प्रस्तावित संशोधन हेतु आंशिक सहमति प्रदान की गई।
- 13.18 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग के पत्र दिनांक 20.02.2013 द्वारा राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जन स्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967 में प्रस्तावित संशोधन पर सहमति देने से मना कर दिया गया।

- 13.19 शासन ने उक्त प्रकरण आयोग के पुनःविचार हेतु प्रेषित किया। आयोग द्वारा पुनःविचार के उपरान्त पत्र दिनांक 20.03.2013 द्वारा अपनी सहमति से अवगत कराया गया।
- 13.20 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विभिन्न सेवा नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर अपनी असहमति व्यक्त की:—
1. आयोग के पत्र दिनांक 13.02.2013 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951
 2. आयोग के पत्र दिनांक 11.07.2012 द्वारा राजस्थान कृषि विपणन सेवा नियम, 1986
 3. आयोग के पत्र दिनांक 11.07.2012 द्वारा राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960

नियमों/अनुसूचियों में संशोधनों की संख्या



14. आयोग के परामर्श की अस्वीकृति

- 14.1 यह संतोष का विषय है कि आलोच्य वर्ष के दौरान शासन द्वारा आयोग के परामर्श की अस्वीकृति का कोई भी प्रकरण आयोग की जानकारी में नहीं आया।

15. विविध

अन्तराष्ट्रीय यात्राएं

- 15.1 दिनांक 14.03.13 से 15.03.13 तक अफगान स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार एवं सिविल सेवा आयोग (आई.ए.आर.सी.एस.सी.) और यू.एन.डी.पी., काबुल से 15 वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के दो दिन के दौरे पर भ्रमण किया।
- 15.2 दल मे सम्मिलित निम्नलिखित अधिकारियों ने आयोग की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करने हेतु दिनांक 15.03.2013 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का दौरा किया:—
1. श्री अब्दुल कुदूस मुजादेदी, क्षेत्रिय निदेशक— सेन्टर, काबुल
 2. डा. कमालुद्दीन अमीनी, क्षेत्रिय निदेशक — उत्तर, बलख
 3. श्री अब्दुल जलील हामिद, क्षेत्रिय निदेशक — उत्तर पूर्व, कुन्दुज़
 4. सुश्री नफीसा मुन्सिफ, क्षेत्रिय निदेशक — पूर्व, नेनघर
 5. श्री गुलाम अली जोशान, क्षेत्रिय निदेशक — दक्षिण पूर्व, पकितया
 6. श्री मोहम्मद इब्राहिम सैफी, क्षेत्रिय निदेशक — दक्षिण पश्चिम, कंधार
 7. श्री अब्दुल सलाम, क्षेत्रिय निदेशक — पश्चिम, हेरात
 8. श्री कदीर अहमद सियामक, प्रांतीय वित्तीय समन्वयक, प्रांतीय मामलात विभाग, आई.ए.आर.सी.एस.सी.
 9. सुश्री कल्पना राजसिंघोत, (राष्ट्रीयता— भारतीय), सी.डी.ए. (एन.आई.बी.पी., यू.एन.डी.पी.), जी.डी.पी.डी.एम., आई.ए.आर.सी.एस.सी.
 10. सुश्री वेलन्टीना होकसा, (राष्ट्रीयता— अमेरिका), सी.डी.ए. (एन.आई.बी.पी., यू.एन.डी.पी.), सी.एस.सी. क्षेत्रीय कार्यालय, काबुल
 11. श्री क्रिस्टोफर कासाउबोन (राष्ट्रीयता— फ्रांस), सी.डी.ए. (एन.आई.बी.पी., यू.एन.डी.पी.), सी.एस.सी. क्षेत्रीय कार्यालय, नेनघर
 12. सुश्री ऐंजल दिमित्रोव, (राष्ट्रीयता— बुलगेरिया), सी.डी.ए. (एन.आई.बी.पी., यू.एन.डी.पी.), सी.एस.सी. क्षेत्रीय कार्यालय, कुन्दुज़
 13. श्री नुरुन नबी तालुकदार, (राष्ट्रीयता— बांग्लादेश), सी.डी.ए. (एन.आई.बी.पी., यू.एन.डी.पी.), सी.एस.सी. क्षेत्रीय कार्यालय, बलख

14. श्री बदरी बस्तक ओती, (राष्ट्रीयता— नेपाल), सी.डी.ए. (एन.आई.बी.पी., यू.एन.डी.पी.), सी.एस.सी. क्षेत्रीय कार्यालय, कंधार
15. श्री जनक राज जोशी, (राष्ट्रीयता— नेपाल), सी.डी.ए. (एन.आई.बी.पी., यू.एन.डी.पी.), सी.एस.सी. क्षेत्रीय कार्यालय, हेरात

अध्यक्ष एवं सदस्य—गण की यात्राएँ :-

- 15.3 प्रो. बी.एम. शर्मा, माननीय अध्यक्ष, ने दिनांक 12.04.2012 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद में आयोजित राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों (भारत) की नेशनल कॉन्फ्रेन्स की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में भाग लिया ।
- 15.4 प्रो. बी.एम. शर्मा, माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 24 से 26.05.2012 तक आपसी हितों के विषयों पर विचार – विमर्श के लिए सिविकम लोक सेवा आयोग, गंगटोक का भ्रमण किया ।
- 15.5 श्री मलकियत सिंह, माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद ने दिनांक 16 से 17.06.2012 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का दौरा कर आपसी हितों के विषयों पर विचार–विमर्श किया ।
- 15.6 डा. एच.के. गौराण, माननीय अध्यक्ष, ने दिनांक 04.10.2012 को भुवनेश्वर में ओडिशा लोक सेवा आयोग, कटक द्वारा आयोजित राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों (भारत) की नेशनल कॉन्फ्रेन्स की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में भाग लिया ।
- 15.7 डा. एच.के. गौराण, माननीय अध्यक्ष, ने दिनांक 08.02.2013 को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना में आयोजित राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों (भारत) की 15वीं नेशनल कॉन्फ्रेन्स में भाग लिया ।
- 15.8 पुस्तकालय :- आयोग में स्वयं का पुस्तकालय है । विषय–विशेषज्ञों, परीक्षकों एवं आयोग के स्टॉफ के लिये बड़ी संख्या में विभिन्न विषयों की संदर्भ पुस्तकें, पीरियोडिकल्स, पत्रिकाएँ, एन्साइक्लोपीडिया, समाचार–पत्र आदि उपलब्ध होना, इस पुस्तकालय की समृद्धि का सूचक है । इसका विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष 2012–13 में उपलब्ध संख्या		
1.	कुल पुस्तकें	18020
2.	बाउण्ड पीरियोडिकल्स	6082
3.	जनरल्स	24
4.	सामान्य मैगेजिन्स	32
5.	समाचार–पत्र	14

15.9 ISO 9001:2008 प्रमाणपत्र :

राजस्थान लोक सेवा आयोग को गुणवत्ता प्रबंधन के लिए दिनांक 22.06.2011 को Quest Certification (P) Ltd. Accredited by Joint Accreditation System of Australia and New Zealand द्वारा ISO 9001:2008 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया । राजस्थान लोक सेवा आयोग इस प्रकार का प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला गुजरात लोक सेवा आयोग के बाद देश का दूसरा लोक सेवा आयोग है ।

- 15.10 “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” का क्रियान्वयन – प्रतिवेदन :- “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2012 को 270 प्रार्थना–पत्र लम्बित थे । प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, विभिन्न प्रकार की सूचनाएँ चाहने हेतु आयोग द्वारा 8415 प्रार्थना–पत्र प्राप्त किए गए । इस प्रकार, कुल प्रार्थना–पत्र 8685 हुए । आयोग द्वारा 7699 प्रार्थना–पत्र निस्तारित किए गए अर्थात् 3418 प्रार्थना–पत्र पर सूचना दी गई एवं 4281 प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये गये । इस प्रकार प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक आयोग में 986 प्रार्थना–पत्र विचारार्थ लम्बित रहे ।

15.11 “सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005” के अन्तर्गत अपीलों का निस्तारण :-

क्र.सं.	विवरण	प्रथम अपील	द्वितीय अपील	योग
1	गत वर्ष (2011–12) की लम्बित अपीलें	44	146	190
2	वर्तमान वर्ष (2012–13) से सम्बन्धित अपीलें	922	144	1066
	योग :	966	290	1256
3	वर्तमान वर्ष के दौरान् अपीलों का निस्तारण	903	35	938
4	लम्बित अपीलें शेष रही	63	255	318

15.12 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ के अन्तर्गत फीस के रूप में राशि रूपये 1,59,691/- प्राप्त हुई ।

15.13 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान्, दिनांक 01.04.2012 को निःशक्त जन अधिनियम के अन्तर्गत आयोग के पास 14 अपीलें लम्बित थीं तथा 36 अपीलें वर्ष के दौरान् प्राप्त हुई । इस प्रकार, कुल 50 अपीलें हुई । आयोग द्वारा 46 अपीलें निस्तारित की गई । इस प्रकार वर्ष के अन्त में 04 अपीलें विचारार्थ लम्बित रहीं ।

15.14 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान् दिनांक 01.04.2012 को राजस्थान सूचना आयोग के अन्तर्गत आयोग के पास 05 अपीलें लम्बित थीं तथा 06 अपीलें वर्ष के दौरान् प्राप्त हुई । इस प्रकार कुल 11 अपीलें हुई । आयोग ने 03 अपीलों का निस्तारण किया । वर्ष के अन्त में 08 अपीलें आयोग के पास विचारार्थ लम्बित रहीं ।

15.15 आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किये गये नवाचारों का विवरण :-

सूचना प्रौद्योगिकी पहल एवं गतिविधियाँ 2012–13

(1). सूचना प्रौद्योगिकी की ओर आयोग का लक्ष्य एवं गतिविधियाँ

- एक सरल एवं सहज ऑनलाईन आवेदन प्रणाली (एकल खिड़की, समुचित सूचना युक्त, एस.एम.एस./ई-मेल एवं अन्य मीडिया द्वारा समुचित पावती सुविधा, नागरिक सुविधा केन्द्रित दृष्टिकोण) अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न चरणों की प्रस्थिति संबंधी सम्वर्धित सुविधाओं से युक्त ऑनलाईन पोर्टल ।
- वर्ष 2012–2013 में ई-मित्र/सी.एस.सी. कियोस्क का लगभग 1000 तक विस्तार ।
- सोशल नेटवर्किंग यथा फेसबुक, ट्विटर, गूगल कलेन्डर के साथ एकीकृत, पाठ्यक्रम, पुराने प्रश्न–पत्र, उत्तर–कुंजी, आगामी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार की सूचना संयुत एक समृद्ध इन्टरेक्टिव वेबसाइट ।
- ऑनलाईन परीक्षा मॉक टेस्ट, दिशा–निर्देश एवं परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी आयोग के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है ।
- मोबाइल सर्विस डिलीवरी गेटवे के उपयोग के साथ आयोग से संबंधित एस.एस. एकीकरण गतिविधियाँ ।
- स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एकीकृत नेट–बैंकिंग सुविधा द्वारा ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने की सुविधा । यह सुविधा दिनांक 07.03.2013 से लागू की गई ।

(2) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग / गतिविधियाँ :-

- एस.एस. आधारित परीक्षा केन्द्र सूचना प्रणाली – आयोग द्वारा साधारण कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित मोबाइल एप्लीकेशन के प्रयोग द्वारा किया गया यह एक अभिनव प्रयोग है । यह एक मोबाइल आधारित व्यवस्था है जो परीक्षा केन्द्रों से सूचना एकत्रित करती है एवं आवश्यकता अनुरूप परीक्षा केन्द्रों को सूचना उपलब्ध कराती है ।
- विभागीय पदोन्नति समिति निगरानी – ऑन–लॉगिन पासवर्ड द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति निगरानी व्यवस्था के अन्तर्गत नामांकित सदस्य एवं पदोन्नति समिति की प्रस्थिति एवं विभिन्न सूचनाएं संबंधित विभाग इस प्रणाली के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं ।
- विशेषज्ञ मानदेय भुगतान प्रबंधन व्यवस्था – आयोग द्वारा विभिन्न गोपनीय कार्यों हेतु आमंत्रित विषय–विशेषज्ञों के पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया की विभिन्न उपयोगी सूचनाओं सहित कम्प्यूटरीकृत ऑन–लाईन व्यवस्था ।

- संसाधन सहभागिता प्रणाली – आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नियम, प्रारूप, विज्ञापन, सम्पूर्ण आयोग की बैठकों के निर्णय, इत्यादि की कम्प्यूटरीकृत ऑन-लाईन उपलब्धता।
- ऑन-लाईन परीक्षा : ऑन-लाईन टाईप टेस्ट सहित लगभग 20 ऑन-लाईन परीक्षाएं अब तक आयोजित की जा चुकी हैं।

(3). आयोग को प्राप्त सम्मान

क्रम सं.	वर्ष	अवार्ड विवरण	द्वारा प्रदत्त	उद्देश्य
1	2012 (15.11.2012)	ई-इण्डिया पब्लिक चॉइस अवार्ड	ई-लेट्रस इण्डिया	ऑन-लाईन आवेदन हेतु (शासन से नागरिक वर्ग के अन्तर्गत)
2	2013 (11.02.2013)	नेशनल ई-गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड	प्रशासनिक सुधार भारत सरकार	भारत की श्रेष्ठ सरकारी पोर्टल हेतु

16. अभिस्वीकृति

- 16.1 राज्य सरकार, विभिन्न विभागाध्यक्षों, जिलाधीशों, क्षेत्रीय / जिला नियोजन अधिकारियों तथा अन्य राजकीय संस्थाओं द्वारा आयोग के कार्य सम्पादन में प्रदत्त सहायता एवं सहयोग को आयोग स्वीकार करता है।
- 16.2 निजी शिक्षण संस्थाओं के कार्मिकों एवं प्राधिकारियों द्वारा आयोग को विभिन्न परीक्षाओं के आयोजनार्थ प्रदत्त सहायता एवं सहयोग के प्रति आयोग अपनी ओर से प्रशंसा अभिलिखित करते हैं।
- 16.3 आयोग अपने अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा प्रदत्त निष्ठापूर्ण एवं दक्ष सेवाओं के लिए भी अपनी ओर से प्रशंसा अभिलिखित करते हैं।

परिश्राप

परिशिष्ट – 1

आयोग के कृत्य

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में उल्लिखित प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं ।

लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जावेगा—

(क) असैनिक सेवाओं में और असैनिक पदों के लिए भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर;

(ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानान्तरण करने के तथा अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर;

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनुशासन विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएँ सम्बद्ध हैं, उनके सहित समस्त अनुशासनिक विषयों पर;

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है या कर चुका है, अथवा वैसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कृत, या कर्तुमभिप्रेत, कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध चलाई गई किन्हीं विधि—कार्यवाहियों में जो व्यय उसे अपनी प्रतिरक्षा में करना पड़ा है, वह यथा स्थिति राज्य की संचित निधि में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर;

(ङ) राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवृत्ति वेतन दिये जाने के लिए दावे पर तथा ऐसी ही दी जाने वाली राशि क्या हो, इस प्रश्न पर; एवं

(च) अन्य कोई मामला, जो शासन द्वारा संदर्भित किया जावे ।

सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया एवं नियुक्ति दिये जाने के सिद्धान्तों को अपनाए जाने हेतु या इस प्रकार के पदों पर नियुक्ति प्रदान करने या ऐसी नियुक्तियों में अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के मामले में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । जब तक सेवा में किसी भी पद की भर्ती के लिये सम्बन्धित सेवा नियमों में प्रावधान निहित है तब ही उस पद पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी —

(1) मंत्रालयिक सेवा में या

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 के अनुसार अधीनस्थ सेवा या राज्य सेवा में चाहे तकनीकी या गैर—तकनीकी जिसके प्रारंभिक वेतन के रूप में ग्रेड वेतन 3200/- रूपये प्रतिमाह या उससे कम है ।

परिशिष्ट – 2

आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य—गण का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण

1. डॉ. हबीब खान गौराण, भा.पु.से. (से.नि.) :– (एम. एस.सी., पी.एच.डी.)

डॉ. हबीब खान गौराण का जन्म 15 अगस्त, 1957 को कस्बा डीडवाना, जिला नागौर में स्व. श्री भैंवर खान जी के घर में हुआ था। प्रारम्भ से ही कुशाग्र बुद्धि के बल पर हर कक्षा में प्रथम रथान प्राप्त करते रहे। आपने स्नातक उपाधि राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना से प्राप्त कर स्नातकोत्तर उपाधि एम.एस.सी. (भूगर्भ शास्त्र), उदयपुर से गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की। आपका वर्ष 1979 में राजस्थान विश्वविद्यालय में सह आचार्य के पद पर चयन हुआ एवं आपने लगभग 4 वर्ष तक वहाँ अध्यापन कार्य किया।

वर्ष 1982 में आपका चयन राजस्थान पुलिस सेवा में हुआ एवं आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान् वर्ष 1983 में सर्वोत्तम केडेट का पुरस्कार (स्वॉर्ड ऑनर) प्राप्त किया।

आपने अपने 30 वर्ष के सेवा काल में उप अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के पदों की जिम्मेदारी अति उत्तमता से निभाते हुए अत्यन्त सहनशील, कर्मठ एवं निष्ठावान पुलिस अधिकारी का परिचय दिया। इनके अत्यन्त सराहनीय कार्यों के फलस्वरूप विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा 200 से अधिक ईनाम मिले एवं 03 बार इन्हें जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस 1988, स्वतंत्रता दिवस 1993 एवं गणतंत्र दिवस 1994 को पुरस्कृत किया गया।

डॉ. गौराण उच्चतम श्रेणी के अनुसंधानकर्ता हैं। इन्होंने कई हत्याओं, डकैतियों, लूट एवं चोरियों की वारदातों का पर्दाफाश किया। राजधानी जयपुर में घटित तिब्बती लड़की से बलात्कार प्रकरण को सुलझाकर पुलिस विभाग को गौरवान्वित किया। इनके द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यों से बहुत से अपराधियों को आजीवन कारावास की सजायें हुई हैं।

बगरु थाने के इलाके में 52 लाख की सिंगरेट डकैती काण्ड में डाकुओं का पता लगाकर डाकुओं को गिरफ्तार किया। इनके इस असाधारण कार्य पर राज्य सरकार ने इन्हें शौर्य की प्रतीक 12 बोर गन एवं प्रशंसा पत्र से पुरस्कृत किया।

आपने साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सामंजस्य बनाये रखने में अभूतपूर्व योगदान दिया। पाली, जोधपुर, जयपुर, चूरू, बूंदी एवं बीकानेर में विभिन्न साम्प्रदायिक घटनाओं में सकारात्मक भूमिका निभाई जिससे शांति स्थापित हुई।

डॉ. गौराण एक कर्मठ, निष्पक्ष, निष्ठावान एवं अति उत्तम श्रेणी के पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने विभिन्न कार्यों में अपनी निष्ठा, निष्पक्षता एवं क्षमता का परिचय दिया है। इनकी इन उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप गणतंत्र दिवस 2001 पर इन्हें राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।

डॉ. गौराण वर्ष 2009 में भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत हुए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक जी.आर.पी. जोधपुर, बूंदी व बीकानेर जिले के पदों पर रहकर सराहनीय कार्य किये। इनकी छवि एक लोकप्रिय, पारदर्शी एवं कुशल पुलिस अधिकारी की रही है।

माह नवम्बर, 2011 में इन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग का माननीय सदस्य नियुक्त किया गया।

दिनांक 19.11.2011 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

दिनांक 31.08.2012 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

2. प्रो. बी. एम. शर्मा, : एम.ए., पीएच.डी., एम.बी.ए.

अनुभव –

1973	—	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक आचार्य का पदभार ग्रहण किया ।
1984–1987	—	महारानी कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष ।
1987	—	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के राजनीति विज्ञान विभाग में सह आचार्य पद पर चयनित ।
2001–2004	—	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के राजनीति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष ।
2002–2009	—	सदस्य, सिंडीकेट एवं सीनेट, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
1994–2004	—	निदेशक, प्रशासनिक सेवा प्री-एण्ट्री ट्रेनिंग सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
2005–2009	—	निदेशक, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ।
2008–2012	—	सदस्य, कार्यकारी परिषद, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ।
2009–2011	—	कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (अक्टूबर 2009 से 30 जून, 2011) ।

महामहिम राज्यपाल, गुजरात द्वारा दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत एवं कच्छ विश्वविद्यालय, भुज (गुजरात) के कुलपतियों के चयन हेतु गठित सर्च कमेटी के अध्यक्ष ।

पुरस्कार –

1987	—	भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार ।
1991 एवं 95	—	भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल पुरस्कार (दो बार) ।
1998 एवं 2002	—	मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा भीमराव अंबेडकर पुरस्कार (दो बार) जापान, अर्जेंटीना, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, बुडापेस्ट (हंगरी), सेन्ट्रियागो (चिली), श्रीलंका, इटली, पोलंड
अन्तर्राष्ट्रीय यात्राएँ –	—	प्रो. शर्मा के मार्गदर्शन में लगभग 52 रिसर्च स्कोलर्स को पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई ।
	—	भारत सरकार एवं राजनीति, लोक प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भारत में लोक प्रशासन एवं लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के क्षेत्र में विशेषज्ञता ।
	—	लोक प्रशासन, पुलिस प्रशासन, भारत सरकार एवं नीतियां, वैश्वीकरण, निजीकरण, मानवाधिकार, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, सुराज एवं सिविल सोसाइटी आदि क्षेत्रों पर 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित ।
	—	राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय जरनल्स में विभिन्न विषयों पर 150 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित ।

दिनांक 01.07.2011 (अपराह्न) को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

दिनांक 31.08.2012 (अपराह्न) को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के माननीय अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत हुए ।

3. **श्री शिवपाल सिंह नांगल** :— बी. कॉम, एलएल.बी. तथा श्रम विधि एवं कार्मिक प्रबन्धन में डिप्लोमा ।

अनुभव :-

1 अधिवक्ता (38 वर्ष)

2 राजस्थान विश्वविद्यालय (वाणिज्य संकाय), जयपुर में छात्रसंघ अध्यक्ष (कॉमर्स कॉलेज) वर्ष 1973–74 में रहे ।

3 अन्तर विश्वविद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता, मद्रास में वर्ष 1976 में आयोजित के विजेता रहे ।

4 संभागीय रेल उपयोग कर्ता सलाहकार समिति के वर्ष 1995–96 में सदस्य रहे ।

5 भवानी निकेतन (शिक्षा समिति) शिक्षण संस्थान एवं चैरीटेबल ट्रस्ट, जयपुर में वर्ष 1997–2000 में उपाध्यक्ष तथा वर्ष 2001–2003 में अध्यक्ष रहे ।

विशेष विवरण :-

समाज सेवा, धार्मिक मन्दिर एवं ट्रस्टों के सदस्य, सामाजिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों (गैर सरकारी संगठन) (एन.जी.ओ.) का संचालन किया एवं उनसे सम्बद्ध रहे ।

दिनांक 18.04.2008 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

4. **श्री कन्हैया लाल, भा.पु.से. (सेवानिवृत्त)** :— एम.कॉम. (लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी)

अनुभव :-

- रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, जयपुर में चार वर्ष तक सेवाएँ प्रदान की ।
- दिसम्बर, 1982 में राजस्थान पुलिस सेवा में कार्यग्रहण किया तथा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर एवं सवाईमाधोपुर में प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् निम्नलिखित पदों पर पदस्थापित रहे :—

1 सहायक समादेष्टा, आर.ए.सी.	जून, 1985 से जून, 1986
2 उप अधीक्षक, जैसलमेर	जून, 1986 से मई, 1988
3 उप अधीक्षक, जयपुर	मई, 1988 से दिसम्बर, 1989
4 उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर	जनवरी, 1990 से दिसम्बर, 1990
5 उप अधीक्षक, अजमेर	जनवरी, 1991 से मार्च, 1993
6 उप अधीक्षक, अलवर	अप्रैल, 1993 से सितम्बर, 1993
7 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सी.आई.डी. जोन, भरतपुर	अक्टूबर, 1993 से अप्रैल, 1994
8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीकर	अप्रैल, 1994 से सितम्बर, 1997
9 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर सिटी	सितम्बर, 1997 से सितम्बर, 1998
10 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बीकानेर	सितम्बर, 1998 से जुलाई, 2000
11 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मालपुरा (टोंक)	जुलाई, 2000 से जून, 2003
12 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीकर	जून, 2003 से अगस्त, 2004
13 सतर्कता आयुक्त, जे.एन.एन., जयपुर	अगस्त, 2004 से फरवरी, 2006
14 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर (ग्रामीण)	फरवरी, 2006 से मार्च, 2007

दिनांक 24.01.2007 को भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति हुई ।

15 पुलिस अधीक्षक, बाँसवाड़ा 11.04.2007 से 18.04.2008

पारितोषिक :-

- 1 वर्ष 1988 में, महामहिम राज्यपाल द्वारा गन प्रदान की गई ।
- 2 स्वाधीनता दिवस, 2003 के अवसर पर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान किया गया ।

दिनांक 18.04.2008 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

5. प्रो. पी. के. दशोरा :— (एम.एससी., पीएच.डी.)

अनुभव —

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में अध्यापन एवं अनुसंधान का 28 वर्ष का अनुभव ।

रुचिकर विषय :—

डिजाइन ऑफ एक्सपरीमेन्ट्स, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सांख्यिकीय पद्धतियाँ, साइकोमेट्रिक्स, आर्थिक सांख्यिकी, रिसर्च मेथोडोलोजी ।

प्रशासनिक अनुभव एवं अन्य कार्य :—

- (i) सह अधिष्ठाता, छात्र कल्याण (ए.डी.एस.डब्ल्यू) राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर (जुलाई, 1994 से जनवरी, 1999) ।
- संयुक्त सचिव — ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियाँ (रुद्रा) एवं ग्रामीण विकास हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठन (1999—2004) ।
- उपाध्यक्ष — ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियाँ (रुद्रा) एवं ग्रामीण विकास हेतु कार्यरत गैर सरकारी संगठन (1999—2004) ।
- सचिव — कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर शिक्षक संघ (2001 से)
- (ii) समन्वयक, प्लेसमेन्ट एण्ड इन्फोर्मेशन ब्यूरो, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (अक्टूबर, 2000 से नवम्बर, 2005) पाँच वर्ष तक ।
- (iii) छात्र कल्याण अधिकारी, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (अप्रैल, 2004 से नवम्बर, 2005) दो वर्ष तक ।
- चेयरमैन, स्पोर्ट्स बोर्ड, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (अप्रैल 2004 से नवम्बर, 2005) ।
- समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (अप्रैल, 2004 से नवम्बर, 2005) ।
- (iv) विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष, कृषि सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, आर.सी.ए., एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (जनवरी, 2004 से जुलाई, 2008) ।
- (v) सदस्य—विश्वविद्यालय पेन्शन, पी.एफ., विश्वविद्यालय आवास आवंटन, विश्वविद्यालय नियम संरचना समितियाँ (2000 से 2008) ।
- (vi) अधीक्षक, विवेकानन्द, पी.जी. हॉस्टल, राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर (मई, 1992 से जुलाई, 1994) तीन वर्ष तक ।
- (vii) तीन वर्ष यथा 2005, 2006 तथा 2008 के लिए, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में शिक्षकों एवं अधिकारियों के चयन हेतु गठित चयन समिति में राजस्थान सरकार के मनोनीत सदस्य रहे ।
- विदेशी छात्रों के सलाहकार, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (वर्ष 2007 से जुलाई, 2008) ।
- सचिव — भारतीय शिक्षा प्रचार समिति, उदयपुर (एक गैर सरकारी संगठन, जो उदयपुर सभ्बाग में 80 स्कूलों संचालित कर रहा है) ।
- सदस्य — विकास समिति, राजकीय मीरा महिला महाविद्यालय, उदयपुर ।
- (viii) वर्ष 2007 से 2008 के लिए, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में शिक्षकों एवं अधिकारियों के चयन हेतु गठित चयन समिति में राजस्थान सरकार के मनोनीत सदस्य रहे ।
- (ix) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा गठित विभिन्न समितियों के संयोजक/सदस्य रहे ।
- (x) सदस्य (राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत) — प्रबन्धन मंडल, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (2006 से 2008) ।
- (xi) सदस्य — अकादमिक परिषद्, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा (2004 से 2008) ।
- (xii) सदस्य — राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर (2004 से 2008) ।
- (xiii) वर्ष 2006 से 2008 के लिए, भारतीय विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामनगर, पाली के प्रबन्धन मंडल के विश्वविद्यालय के मनोनीत सदस्य एवं चयन समिति के सदस्य रहे ।
- (xiv) संयोजक, चैप्टर राईटिंग टीम (मिशन एण्ड गोल्स चैप्टर), फॉर सेल्फ स्टडी रिपोर्ट, आर.सी.ए., उदयपुर (2004) ।
- (xv) सदस्य — राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान शिक्षा मिशन के अन्तर्गत कृषि विज्ञान पर गठित सलाहकार समिति, (2006—2008) ।
- (xvi) सदस्य — राजस्थान राज्य के विश्वविद्यालय के पेन्शन फण्ड की रिस्थिति एवं पेन्शन फण्ड के सुधार हेतु सुझाव देने के लिए गठित समिति (2006) ।

- (xvii) सदस्य – श्रमिक शिक्षा मंडल (श्रम मंत्रालय, भारत सरकार) क्षेत्रीय समिति, उदयपुर (2006–2008)।
- (xviii) सदस्य – गोआ, केरेला, हरियाणा एवं सी.बी.एस.सी. में सैकेण्डरी स्तर पर ग्रेडिंग सिस्टम का अध्ययन करने हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा गठित समिति (2007)।
- (xix) अकादमिक प्रतिनिधि— प्रबंधन मंडल एवं प्रकाशन मंडल, राजस्थान खेती, निदेशालय विस्तार शिक्षा, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर द्वारा प्रकाशित (2004–2006)।
- (xx) सह-अध्यक्ष, प्रोग्राम एवं कॉम्पीटीशन समिति, एग्रीयूनीफेस्ट (2007)।
- (xxi) सदस्य— विकास समिति, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर (2006–2008)।
- (xxii) सदस्य राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नामित, जीवन कौशल शिक्षा की पुस्तकों के प्रारूप का अंतिम रूप देने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा गठित समिति (2007)।
- (xxiii) संयोजक, सोवीनियर, सी.एस.यू., एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर (2000–2001)।
- (xxiv) सदस्य— कम्प्यूटर केन्द्र के प्रभावशाली क्रियान्वयन एवं कम्प्यूटर व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बिन्दुओं की संरचना संबंधी कार्य हेतु गठित समिति (2000)।
- (xxv) सदस्य— एन.सी.सी./एन.एस.एस., एन.एस.डब्ल्यू. गतिविधियों को एक क्रेडिट ऑवर पाठ्यक्रम बनाने संबंधी मापदण्डों के निर्माण हेतु गठित समिति (2000)।
- (xxvi) अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए सुझाव देने हेतु दिनांक 02.12.2010 को गठित समिति (आदेश क्रमांक : प.6(65)प्र.सु./अनु.-3/2010)।
- (xxvii) अध्यक्ष, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के पदों को छोड़कर अन्य सेवाओं में प्रचलित परीक्षा प्रणाली यथा सिलेबस, प्रश्न-पत्रों की संख्या व इसके प्रकार, लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंकों का प्रावधान इत्यादि का अध्ययन कर सुझाव एवं विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली परीक्षा प्रणाली का अध्ययन कर रिपोर्ट देने हेतु आदेश क्रमांक : प.6(30)प्र.सु./अनु.-3/2011 दिनांक 05.08.2011 द्वारा गठित समिति।

प्रकाशन :-

● शोध पत्र	:	79
● सारांश	:	102
● तकनीकी / अन्य लेख	:	10
● पुस्तकों में प्रकाशित अध्याय	:	06
● रेडियो प्रसारण	:	10
● सम्पादित पुस्तकें	:	04
● विभिन्न पत्रिकाओं के सम्पादक रहे	:	09
(मुख्य सम्पादक, विश्वविद्यालय मेंेजिन 01, मुख्य सम्पादक, वार्षिक न्यूजलेटर—आर.सी.ई.ए.एम. 01, सदस्य, सम्पादक मण्डल, कॉलेज मेंेजीन 07)		
● सम्पादक रिसर्च जरनल्स	:	04
● सम्पादक (लेक्चर नोट्स)	:	01
(विन्टर स्कूल ऑन एडवान्सेज इन डिजाइन ऑफ एक्सप्रेसेन्ट्स)		
● टीचिंग / रेफरेन्सेज मेन्युअल्स	:	02
(स्टेटिस्टिकल मेथड्स 01, तथा आर्थिक-सांख्यिकी 01)		
● विशेष व्याख्यान	:	32
● ग्रीष्म एवं शरद स्कूल में उपस्थिति	:	04

एम.एस.सी./ पीएच.डी. सलाहकार :-

(क)	प्रमुख सलाहकार	
(1)	पीएच.डी. (सांख्यिकी)	: 01
(2)	विपणन प्रबन्धन में डिप्लोमा	: 18
(ख)	सदस्य सलाहकार समिति	
(1)	पीएच.डी. (कृषि) / पीएच.डी. (कृषि अभियांत्रिकी) / पीएच.डी. (गृह विज्ञान)	: 450 (लगभग)
(2)	एम.एस.सी. (कृषि) / (कृषि अभियांत्रिकी) / (गृह विज्ञान / डेयरी विज्ञान)	: 650 (लगभग)

पुरस्कार एवं सम्मान :-

अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार : इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एज्यूकेशन फॉर वर्ल्ड पीस (आई.ए.ई.डब्ल्यू.पी.), यू.एस.ए., कॉमनवेल्थ ट्रेडिंग फॉर एडल्ट्स (सी.ए.इ.टी.ए.), यू.के. द्वारा इन्टरनेशनल फेलिसिटेशन एण्ड इन्टरनेशनल अवार्ड इन हॉलिस्टिक डेवेलपमेन्ट ऑफ यूथ एण्ड एज्यूकेशनल लीडरशिप। दिनांक 10 फरवरी, 2003, को ब्रुनो ग्रोनिंग स्कूलिंग एण्ड सोमिनार ऑन इन्टरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर, 2003, यू.एन.ओ. 2003 के अवसर पर ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी मिलान एण्ड सर्किल फॉर स्प्रिंग्युअल एड टू लाइफ इन्डिया, गाँधीनगर (गुजरात) द्वारा अवार्ड प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय पुरस्कार :-

- 1 **फेलोशिप अवार्ड** – राजस्थान कौसिल ऑफ एज्यूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट (कॉमनवेल्थ कौसिल ऑफ एज्यूकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेन्ट से सम्बद्ध)।
- 2 **एप्रीशिएशन अवार्ड** – कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम एशिया सेन्टर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया एण्ड एन.एस.एस. यूनिट राजस्थान फॉर आउटस्टेंडिंग कंट्रिब्यूशन इन ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप फॉर एशिया रीजन।
- 3 इण्डियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एण्ड डेवेलपमेन्ट, उदयपुर – चेप्टर अवार्ड फॉर एन्हांसिंग एकेडेमिक एक्सीलेंस इन यूथ ऑन 19 मार्च, 2004।
- 4 दिनांक 01.05.2004 को, भारतीय शिक्षण मण्डल, उदयपुर द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पब्लिक फेलिसिटेशन पुरस्कार।
- 5 वर्ष 2002, 2003 एवं 2004 में गणतंत्र दिवस समारोह पर माननीय वाइस चांसलर, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर द्वारा उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
- 6 वर्ष 2002 में राजभाषा हिन्दी सप्ताह के अन्तर्गत आयोजित गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान के लिए माननीय वाइस चांसलर, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर द्वारा उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रशस्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए।
- 7 वर्ष 2003 में, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर में, हिन्दी रिसर्च पोस्टर के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 8 आई.सी.एन., मुरादाबाद (यू.पी.), 1993 द्वारा किलनिकल न्यूट्रीशन पर आयोजित चतुर्थ विश्व कॉग्रेस की सेटेलाइट मीटिंग में सुब्बाराव मेमोरियल अवार्ड, 1993 के लिए विचार किए गए पेपर के सह सम्पादक रहे।
- 9 वर्ष 1995 में बम्बई में आयोजित न्यूट्रीशन सोसाइटी ऑफ इण्डिया की 28वीं वार्षिक मीटिंग में सामुदायिक पोषाहार पर जूनियर अवार्ड के लिए विचार किए गए पेपर के सह सम्पादक रहे।

वैज्ञानिक / व्यावसायिक समितियों की सदस्यता :-

- 1 आजीवन सदस्य – भारतीय प्रशिक्षण एवं विकास समिति।
- 2 आजीवन सदस्य – भारतीय कृषि सांख्यिकी समिति।
- 3 आजीवन सदस्य – भारतीय चिकित्सा सांख्यिकी समिति।
- 4 आजीवन सदस्य – राजस्थान शिक्षा विस्तार समिति।
- 5 आजीवन सदस्य – कम्प्यूटर तथा एप्लीकेशन्स सांख्यिकी समिति।
- 6 आजीवन सदस्य – ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियों के संस्थापक।
- 7 आजीवन सदस्य – विद्या भारती (अखिल भारतीय शैक्षणिक समिति)।
- 8 आजीवन सदस्य – भारतीय शिक्षा प्रसार समिति, उदयपुर।
- 9 आजीवन सदस्य – राजस्थान शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबन्धन परिषद।
- 10 आजीवन सदस्य – व्यावहारिक सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर समिति, हिसार।
- 11 आजीवन सदस्य – राजस्थान सांख्यिकी एसोसियशन।
- 12 आजीवन सदस्य – एलयूमनी एसोसियशन, सांख्यिकी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

व्यावसायिक निकायों के पदाधिकारी :—

- सदस्य — कार्यकारी निकाय, भारतीय कृषि सांख्यिकी समिति (वर्ष 1999 से 2002)
- संयुक्त सचिव — भारतीय प्रशिक्षण एवं विकास समिति, उदयपुर चैप्टर (2000)।
- सचिव — भारतीय शिक्षा प्रचार समिति, उदयपुर (जुलाई 1997 से)।
- संयुक्त सचिव — ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियाँ (वर्ष 1998 से 2004)।
- उपाध्यक्ष — ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण गतिविधियाँ (वर्ष 2004 से निरन्तर)
- संयुक्त सचिव — राजस्थान शैक्षणिक प्रशासन एवं प्रबंधन परिषद्, राजस्थान (वर्ष 2004 से)।
- सचिव — कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर शिक्षक संघ (वर्ष 2000–2008)।
- अधिशाषी सदस्य — भारतीय कृषि सांख्यिकी समिति, नई दिल्ली (वर्ष 1999 से 2002)।
- सदस्य, अधिशाषी समिति — सांख्यिकी, कम्प्यूटर एवं एप्लीकेशन सोसायटी, नई दिल्ली (वर्ष 2003 एवं 2004)।
- सदस्य, अधिशाषी समिति — व्यावहारिक सांख्यिकी एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन, हिसार (वर्ष 2007–2008)।

शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने में भागीदारी :—

- एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर तथा एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर के लिए सांख्यिकी में अध्ययन मंडल/पाठ्यक्रम समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया।
- सामाजिक विज्ञानों के लिए साइकोमेट्रिक्स एण्ड सेम्प्लिंग टेक्निक्स नामक शीर्षक से अधि स्नातक पाठ्यक्रम विकसित किया।
- छात्रों के व्यक्तित्व विकास हेतु व्याख्यान मालाएँ विकसित की।

छात्र गतिविधियों में वृहद् योगदान :—

- मैनेजर — वर्ष 1987 के दौरान् आयोजित पश्चिम क्षेत्र अन्तर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव के लिए राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय टीम।
- अन्तरविश्वविद्यालय युवा महोत्सवों के आयोजन में सक्रिय रहे।
- समन्वयक — वर्ष 1999 में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर में आयोजित एन.एस.एस. के राष्ट्रीय एकता केम्प।
- संयोजक — वर्ष 1998–99 से 2003–04 तक, एम.पी.यू.ए.टी., उदयपुर में आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता।
- समन्वयक — वर्ष 1997 में, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पर राज्य स्तरीय किंवज प्रतियोगिता।
- राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर में प्रकृति क्लब स्थापित किया, जिससे छात्रों को विभिन्न प्रकार के केरियर्स एवं व्यक्तित्व विकास की गतिविधियों के लिए मंच उपलब्ध कराया।
- समन्वयक — क्षेत्र की काँग्रेस घास के उन्मूलन हेतु राजस्थान कृषि महाविद्यालय, उदयपुर की एन.एस.एस. इकाई द्वारा, प्रारम्भ किए गए सामुहिक जन जागरण कार्यक्रम।
- संयोजक — एम.पी.ए.यू.टी., उदयपुर द्वारा आयोजित एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित, अखिल भारतीय अन्तरराज्यीय कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव (एग्रीयूनिफेर्स्ट – 2004)।
- समन्वयक — युवा संसद प्रतियोगिता, 2006, जिसमें एम.पी.यू.ए.टी. की टीम राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम रही।

दिनांक 04.07.2008 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

6. श्री ब्रह्मसिंह गुर्जर :— (बी.कॉम., एलएल.बी.)

उत्कृष्टता का क्षेत्र –

- अभिभाषक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला एवं सेशन न्यायालय (08.10.1977 से 30.06.2008) – 31 वर्ष का अनुभव।
- सर्च कमेटी (राजकीय मनोनित), महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राजस्थान) (वर्ष 2008–2009)।
- महामहिम राज्यपाल, हरियाणा द्वारा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा के कुलपति के चयन हेतु गठित सर्च कमेटी के अध्यक्ष, वर्ष 2013।
- महामहिम राज्यपाल, हरियाणा द्वारा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, रोहतक (हरियाणा) के कुलपति की नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति के अध्यक्ष, वर्ष 2012 से 2013।

अनुभव /उपलब्धियाँ—

- अभिभाषक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला एवं सेशन न्यायालय (08.10.1977 से 30.06.2008) – 31 वर्ष का अनुभव।
- समाजिक कार्य एवं शैक्षिक उत्थान संबंधी कार्य।
- पूर्व प्रदेश महामंत्री, भारतीय किसान संघ, राजस्थान (गैर-राजनीतिक संगठन) 1984 से 1992।
- पूर्व कार्यकारी सदस्य, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, नई दिल्ली, वर्ष 1992 से 2007 तक (सामाजिक संगठन)।
- पूर्व उपाध्यक्ष, राजस्थान गुर्जर महासभा वर्ष 1992 से 2007 तक (सामाजिक संगठन)।
- पूर्व महामंत्री, राजस्थान गुर्जर महासभा वर्ष 1978 से 1993 तक (सामाजिक संगठन)।

दिनांक 04.07.2008 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

7. श्रीमती दिव्या सिंह :— बी.ए. (अंग्रेजी साहित्य)

जन्म दिनांक – 6 नवम्बर, 1962

अनुभव –

- सदस्य, लोकसभा (मई 1996 से 1998)
- सदस्य, राजस्थान विधानसभा (मई, 2006 से मई 2008)।
- अध्यक्ष, राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं भर्ती बोर्ड (अक्टूबर 2008 से 2009)।

दिनांक 30.11.2011 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद का कार्यभार ग्रहण किया।

दिनांक 30.10.2012 को राजस्थान लोक सेवा आयोग में माननीय सदस्य के पद से त्याग-पत्र दे दिया।

परिशिष्ट – 3(क)

(क) आयोग के निवर्तमान माननीय अध्यक्ष—गण की सूची

क्र.सं.	नाम	पदावधि	
		से	तक
1	सर एस. के. घोष, मुख्य न्यायाधीश	01.04.49	25.01.50
2	श्री एस. सी. त्रिपाठी	28.07.50	07.08.51
3	श्री डी. एस. तिवारी	08.08.51	20.01.58
4	श्री एम. एम. वर्मा	20.01.58	03.12.58
5	श्री एल. एल. जोशी, आई.ए.एस. (कार्यभार वहन किया)	04.12.58	31.07.60
6	श्री वी. वी. नार्लिकर	01.08.60	31.07.66
7	डा. बी. एल. रावत, आई.ए.एस. (कार्यभार वहन किया)	27.04.66	31.07.66
8	श्री रामचन्द्र चौधरी, आर.एच.जे.एस.	08.02.67	09.10.71
9	श्री बी. डी. माथुर	09.10.71	23.06.73
10	श्री आर. एस. कपूर	24.06.73	10.06.75
11	श्री मोहम्मद याकूब, आर.एच.जे.एस.	27.06.75	30.06.79
12	श्री रामसिंह चौहान, आई.ए.एस.	30.06.79	10.09.80
13	श्री हरिदत्त गुप्ता	10.09.80	09.06.83
14	श्री एस. अडवियप्पा	10.06.83	26.03.85
15	डॉ दीन दयाल चौहान	26.03.85	07.11.85
16	श्री जे. एम. खान, आई.ए.एस.	07.11.85	27.11.89
17	श्री सुगनचन्द्र सिंगारिया (कार्यवाहक)	27.11.89	05.09.90
18	श्री यतीन्द्र सिंह, आई.ए.एस.	05.09.90	06.10.95
19	श्री हनुमान प्रसाद, आई.ए.एस.	06.10.95	30.09.97
20	श्री पी. एस. यादव, आई.पी.एस.	30.09.97	06.11.97
21	श्री देवेन्द्र सिंह, आई.पी.एस.	06.11.97	30.12.00
22	श्री एन. के. बैरवा, आई.ए.एस.	31.12.00	22.03.04
23	श्री जी.एस. टॉक	15.07.04	04.07.06
24	श्री एच.एन.मीणा, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) (कार्यवाहक)	04.07.06	19.09.06
25	श्री सी.आर. चौधरी	23.02.08	28.02.10
26.	श्री एम.एल. कुमावत, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त)	28.02.10	01.07.11
27.	प्रोफेसर बी.एम. शर्मा	01.07.11	31.08.12

परिशिष्ट – 3(ख)

(ख) आयोग के निवर्तमान माननीय सदस्य—गण की सूची

क्र. सं.	नाम	पदावधि	
		से	तक
1	श्री डी. एस. तिवाड़ी	26.01.50	07.08.51
2	श्री एन. आर. चन्दोरकर	26.01.50	31.12.50
3	श्री वी. आर. अडिगे	17.02.51	16.02.57
4	श्री मदन मोहन वर्मा	28.06.52	20.01.58
5	श्री एल. एल. जोशी, आई.ए.एस.	01.03.57 एवं 01.08.60	03.12.58 एवं 20.11.61
6	श्री रघुकुल तिलक, वाइस चांसलर	04.02.58	07.01.60
7	श्री एस. एल. आहुजा, आई.ए.एस.	01.12.59	17.11.64
8	श्री श्याम लाल, आई.ए.एस.	17.04.61	15.04.66
9	श्री बी. एल. रावत, आई.ए.एस.	04.09.61	04.09.66
10	श्री रामचन्द्र चौधरी, आर.एच.जे.एस.	20.03.65	07.02.67
11	श्री आर. एन. हावा, आई.ए.एस.	27.07.66	19.07.70
12	श्री एस. डी. उच्चल, आई.ए.एस.	31.05.67	05.01.70
13	श्री शिव शंकर, आई.ए.एस.	29.07.67	10.09.70
14	श्री बी. डी. माथुर	11.11.68	08.10.71
15	श्री विष्णुदत्त शर्मा, आई.ए.एस.	11.06.70	06.03.73
16	श्री आर. एस. कपूर	11.06.70	24.06.73
17	श्री धूलेश्वर मीणा, भूतपूर्व सांसद	01.01.72	02.01.78
18	श्री मोहम्मद याकूब, आर.एच.जे.एस.	07.08.72	26.06.75
19	श्री धर्मन्द हांडा, आई.ए.एस.	05.04.73	10.12.74
20	श्री नाथूलाल जैन, भूतपूर्व सभापति, राजस्थान विधान—सभा	27.07.74	03.10.79
21	श्री हरिदत्त गुप्ता	26.04.75	10.09.80
22	श्री रामसिंह चौहान, आई.ए.एस.	30.03.77	30.06.79
23	श्री एस. अडवियप्पा	12.09.79	09.06.83
24	डॉ दीनदयाल चौहान	11.11.79	26.03.85
25	श्री जे. एम. खान, आई.ए.एस.	06.11.82	07.11.85
26	श्री भवानीमल, आई.पी.एस.	04.07.84	27.06.88
27	डॉ दूल सिंह	06.07.84	22.09.86
28	डॉ डी. एस. सारस्वत	16.12.85	22.01.88
29	श्री सुगनचंद सिंगारिया	28.05.86 एवं 05.09.90	26.11.89 एवं 27.05.92
30	श्री सुभाष चन्द्र टंडन, आई.पी.एस.	01.12.87	06.11.91
31	प्रोफेसर के. एल. कमल	16.09.88	11.09.92
32	डॉ ज्ञानप्रकाश पिलानिया, आई.पी.एस.	22.12.89	17.02.94
33	श्रीमती कान्ता कथूरिया, भूतपूर्व सदस्य, (राज. विधान सभा)	22.12.89	23.04.95 (त्याग—पत्र दिया)
34	श्री हनुमान प्रसाद, आई.ए.एस.	31.10.92	05.10.95
35	श्री पी. एस. यादव, आई.पी.एस.	28.07.93	30.09.97
36	श्रीमती कमला भील, भूतपूर्व राज्यमंत्री, (राज. विधान सभा)	28.07.93	27.07.99
37	श्री शंकर सिंह सोलंकी	03.04.95	05.08.00
38	डॉ (श्रीमती) प्रकाशवती शर्मा	18.01.96	18.01.02
39	श्री ओमप्रकाश गुप्ता, भूतपूर्व मुख्य सचेतक (राज. वि. स.)	26.12.97	04.06.03
40	श्री दलीप सिंह	27.12.97	30.06.99
41	श्री एम. एल. परिहार	14.12.99	14.03.01
42	डॉ. एस.एस.टाक	10.11.99	09.11.05
43	प्रो. (डॉ.) एच.ए.एस. जाफरी	01.02.01	18.06.06
44	श्री एच.एन.मीणा, (आई.पी.एस. सेवानिवृत्त)	25.02.02	04.07.06
45	श्री विनोद बिहारी शर्मा	25.08.03	06.02.08
46	श्री सी.आर. चौधरी	27.02.02	22.02.08
47	श्री एच.एल. मीना	18.04.08	31.01.12
48	डा. एच.के.गौराण, भा.पु.से. (से.नि.)	19.11.11	31.08.12
49	श्रीमती दिव्या सिंह	30.11.11	30.10.12 (त्याग—पत्र दिया)

परिशिष्ट– 4 (क)
आयोग–सचिवालय के अधिकारी / कर्मचारी

क्र.सं.	पद नाम	पदों की संख्या	
		1–4–2012	31–3–2013
1. राजपत्रित			
1	सचिव	1	1
2	विधि परामर्शी	1	1
3	विशेषाधिकारी (अकादमिक)	-	1
4	उप सचिव (आर.ए.एस.)	1	1
5	उप सचिव	2	3
6	उप सचिव (परीक्षा)	1	1
7	परीक्षा – नियंत्रक (उप सचिव)	1	1
8	सिस्टम एनालिस्ट	1	1
9	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	1
10	सदस्य–सचिव (व्याख्याताओं हेतु राज्य पात्रता–परीक्षा)	1	1
11	सहायक सचिव	10	10
12	निजी सचिव	6	6
13	वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष	-	1
14	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1
15	अनुभाग अधिकारी	20	20
16	मूल्यांकन अधिकारी	-	1
17	सहायक लेखाधिकारी	1	1
18	वरिष्ठ निजी सहायक	1	1
19	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	-
	योग:	50	53
2. अराजपत्रित			
1	प्रोग्रामर	1	1
2	वरिष्ठ विधि अधिकारी	-	1
3	निजी सहायक	3	3
4	लेखाकार	2	2
5	कनिष्ठ लेखाकार	4	4
6	शीघ्रलिपिक	-	3
7	कनिष्ठ विधि अधिकारी	2	2
8	सहायक प्रोग्रामर	-	1
9	अन्वेषक	1	1
10	अनुसंधान सहायक	1	-
11	सांख्यिकी निरीक्षक	1	1
12.	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	-	1
13.	सहायक अनुभाग अधिकारी	34	40
14.	भण्डारपाल (विशेष वेतन प्राप्त वरिष्ठ लिपिक)	1	1
15.	वरिष्ठ लिपिक	52	62
16.	सूचना सहायक	6	5
17.	कनिष्ठ लिपिक	46	46
18.	वाहनचालक	7	10
19.	सूचीकार	1	-
20.	मशीनमैन	2	2
	योग:	164	186
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी			
1	जमादार	5	5
2	दफतरी	3	3
3	बुक लिफ्टर	1	1
4	बन्डल लिफ्टर	1	1
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी– (साइकिल सवार, फर्श, द्वारपाल, सफाई कर्मचारी)	31	33
6	वेटर	1	1
7	चौकीदार	1	1
	योग:	43	45
4. संविदा आधार पर			
1.	ई.पी.ए.बी.एक्स ऑपरेटर	1	1
2.	जेनरेटर ऑपरेटर	1	1
3.	इलेक्ट्रिशियन	1	1
4.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5	5
	योग:	8	8

परिशिष्ट – 4 (ख)

वर्ष 2008–2009 से 2012–2013 तक सम्पादित कार्य का तुलनात्मक विवरण

क्र.सं.	मद	वर्ष				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	साक्षात्कार के साथ अथवा बिना साक्षात्कार के परीक्षा द्वारा भर्ती:					
	(1) आयोजित परीक्षाएँ (प्रथम/ द्वितीय चरण)	6	9	15	20	11
	(2) वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र	1742862	62118	1047404	1752898	105990
	(3) परीक्षा में प्रवेश दिये गये अभ्यर्थी	1085575	380290	914577	1329028	651133
	(4) परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थी	830836	281308	719762	852995	438590
	(5) साक्षात्कार लिये गये अभ्यर्थी	915	2903	1621	2376	2023
	(6) साक्षात्कार या बिना साक्षात्कार के चयनित अभ्यर्थी	1207	7388	5412	8212	10759
2	साक्षात्कार द्वारा भर्ती :					
	(क) आयोजित संवीक्षा परीक्षाओं की संख्या	35	20	07	46	33
	(ख) अर्धनाइँ प्राप्त /निस्तारित	146	108	109	28	26
	(ग) वर्ष के दौरान विज्ञापित पद	1862	547	1233	898	411
	(घ) पद जिनके लिए भर्ती पूर्ण की गई	1238	842	2862	981	1141
	(ङ) आवेदकों की संख्या	145581	21571	118379	33814	37991
	(च) साक्षात्कार लिये गये अभ्यर्थी	2611+2*	3098	9333	2506	2617
	(छ) चयनित अभ्यर्थी	1082+1*	838	2766	880	889
	(ज) सुरक्षित सूचियों में से अभिस्तावित अभ्यर्थी	54	32	477	4	18
	(झ) आयोजित राज्य स्तरीय व्याख्याता-पात्रता परीक्षा (विषयों की संख्या)	-	24	-	-	28
3	विविध :					
	(1) पदोन्नति (विभागीय पदोन्नति समितियाँ)	300 (4047 व्यक्ति सम्मिलित)	312 (5345 व्यक्ति सम्मिलित)	215 (3492 व्यक्ति सम्मिलित)	20 (276 व्यक्ति सम्मिलित)	457 (31810 व्यक्ति सम्मिलित)
	(2) अस्थायी नियुक्तियों का नियमन	136	54	24	258	613
	(3) अनुशासनिक मामले और अपीलें (आयोग द्वारा परामर्श दिया गया)	42	48	85	49	35
	(4) नियमावलियों/अनुसूचियों के संशोधन, जिन पर विचार किया गया	225	196	153	192	218
	(5) याचिका सम्बन्धी मामले— (क) प्राप्त हुए/ लम्बित	2627	2131	3094	2657	2880
	(ख) न्यायालय/ न्यायाधिकरण द्वारा निपटाये गये	496	441	570	1411	940
	(6) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं से विवर्जित अभ्यर्थी	154	132	-	-	-
	(7) कार्याशालाएँ आयोजित	46	11	26	74	5
	(8) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सूचनाएँ					
	(अ) प्राप्त / लम्बित प्रार्थना-पत्र	758	1382	3225	5806	8415
	(ब) आयोग द्वारा निस्तारण	687	1341	2434	5536	7699

*न्यायालय के आदेशानुसार ।

परिशिष्ट— 5

वर्ष 2011–2012 एवं 2012–2013 के अन्तर्गत हुई आय एवं व्यय का विवरण

(क) आय

क्र. सं.	आय के स्रोत	राशि (लाख रु. में) (वर्ष 2011–2012)	राशि (लाख रु. में) (वर्ष 2012–2013)
1.	फीस	2522.00	472.00
2.	अन्य आय	52.00	53.00
	योगः	2574.00	525.00

(ख) व्यय

क्र.सं.	मद	राशि (लाख रु. में) (वर्ष 2011–2012)	राशि (लाख रु. में) (वर्ष 2012–2013)
1.	वेतन	789.53	832.56
2.	यात्रा भत्ता	7.79	9.87
3.	चिकित्सा पुनर्भरण	18.00	16.7
4.	कार्यालय व्यय	108.14	85.00
5.	नये वाहन का क्रय	19.17	0.00
6.	कार्यालय वाहन अनुरक्षण	21.00	28.00
7.	व्यावसायिक / विशिष्ट सेवाओं हेतु भुगतान	1472.91	1295.58
8.	विज्ञापन	120.00	95.00
9.	आतिथ्य / सत्कार भत्ता	0.05	0.05
10.	भवन का समुचित रख—रखाव	8.17	19.15
11.	विधि सम्बंधी व्यय	-	0.00
12.	संविदा वाहन व्यय	-	0.00
13.	स्टेशनरी	3.50	4.00
14.	मुद्रण	3.14	2.21
15.	संविदा सेवाएँ	95.00	91.97
16.	कर्मचारी कल्याण	0.25	0.25
17.	लिवरीज़ (वर्दियाँ)	0.51	0.53
18.	पेंशन अंशदान	1.48	0.00
19.	निर्माण कार्य	10.04	20.67
	योग :	2678.68	2501.54

परिशिष्ट – 6
वर्ष 2012–13 के दौरान् आयोजित परीक्षाएं

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	परीक्षा दिनांक	आवेदन पत्रों की संख्या	उपस्थित अस्थर्थियों की संख्या
1	कनिष्ठ लिपिक (द्वितीय चरण) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (पुनः परीक्षा दिनांक 17.03.2012)	05.04.2012 व 06.04.2012	2033	1937
2	प्रोग्रामर परीक्षा, 2011	15.04.2012	3097	1830
3	प्रधानाध्यापक परीक्षा, 2011 (माध्यमिक शिक्षा)	15.05.2012	101340	70368
4	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड – 111 प्रतियोगी परीक्षा, 2011 (माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु)	16.05.2012	27367	21062
5	शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड – 11 प्रतियोगी परीक्षा, 2011 (माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु)	17.05.2012	22108	17412
6	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारम्भिक), 2012	14.06.2012	387886	255050
7	सहायक वन संरक्षक	26.06.2012 से 03.07.2012 तक	19086	4926
8	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा, 2011	01.07.2012	1436	872
9	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (प्रारम्भिक), 2012 (भौतिक विज्ञान विषय की पुनः परीक्षा)	23.08.2012	1058	314
10	राज्य पात्रता परीक्षा, 2012	26.08.2012	83678	63036
11	राजस्थान न्यायिक सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011	21.03.2013 से 24.03.2013 तक	2044	1783
योग:—			651133	438590

परिशिष्ट – 7(क)

अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी तथा गैर–तकनीकी पदों की संख्या,
जिनकी अर्थनाएँ वर्ष 2012–2013 के दौरान प्राप्त हुईं
(केवल साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद)

क्र.सं.	विभाग का नाम	पदों की संख्या				
		अभियांत्रिकी	चिकित्सा	तकनीकी	गैर–तकनीकी	योग
1	<u>चिकित्सा शिक्षा विभाग</u> सहायक आचार्य – साइकेटरी	—	11	—	—	11
2	स्कॉल एवं वी.डी.	—	1	—	—	1
3	टी.बी. एवं रेस्पीरेटरी मेडिसन	—	7	—	—	7
4	एनेस्थिसीयोलोजी	—	21	—	—	21
5	ऑपथलमोलोजी	—	3	—	—	3
6	जनरल सर्जरी	—	15	—	—	15
7	ऑटो-राइनो-लिरिंगोलोजी	—	1	—	—	1
8	गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी	—	3	—	—	3
9	नेफ्रोलोजी	—	3	—	—	3
10	अस्थि रोग	—	11	—	—	11
11	जनरल मेडिसन	—	17	—	—	17
12	न्यूरोसर्जरी	—	6	—	—	6
13	पेडियाट्रिक सर्जरी	—	5	—	—	5
14	पेडियाट्रिक मेडिसन	—	16	—	—	16
15	बॉयोकेमस्ट्री	—	3	—	—	3
16	एण्डोक्राइनोलोजी	—	2	—	—	2
17	<u>पशुपालन विभाग</u> पशुचिकित्सा अधिकारी	—	350	—	—	350
18	<u>नगरीय विकास विभाग</u> कनिष्ठ अभियन्ता	—	—	3	—	3
TOTAL		—	475	3	—	478

परिशिष्ट – 7(ख)

अभियांत्रिकी, चिकित्सा, तकनीकी तथा गैर-तकनीकी पदों की संख्या, जिनका विज्ञापन,
वर्ष 2012–2013 के दौरान् प्राप्त अर्थनाओं में से किया गया
(केवल साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद)

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदों की संख्या				
		अभियांत्रिकी	चिकित्सा	तकनीकी	गैर-तकनीकी	योग
1	चिकित्सा शिक्षा सहायक आचार्य – साइकेटरी	—	11	—	—	11
2	स्किन एवं वी.डी.	—	1	—	—	1
3	टी.बी. एवं रेस्पीरेटरी मेडिसन	—	7	—	—	7
4	एनेस्थिसीयोलोजी	—	21	—	—	21
5	ऑप्थलमोलोजी	—	3	—	—	3
6	ऑटो-राइनो-लिरिंगोलोजी	—	1	—	—	1
7	गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी	—	3	—	—	3
8	नेफ्रोलोजी	—	3	—	—	3
9	न्यूरोसर्जरी	—	6	—	—	6
10	पेडियाट्रिक सर्जरी	—	5	—	—	5
11	पशुपालन विभाग पशुचिकित्सा अधिकारी	—	350	—	—	350
	TOTAL	—	411	—	—	411

परिशिष्ट 7-ग

क्र. सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या						प्राप्त आवेदन पत्र				साक्षात्कार हेतु आमंत्रित				उपस्थित				चयनित							
			पु.		म.	वि.	वि. वि.	PD		पु.		म.	वि.	PD		पु.		म.	वि.	PD		पु.		म.	वि.	PD		
			पु.	म.				पु.	म.		पु.	म.		पु.	म.		पु.	म.		पु.	म.		पु.	म.		पु.	म.	
साक्षात्कार द्वारा चयन																												
1	जिला परिवीक्षा सह समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, कुल पद 16	कुल	13	3	0	0			1701	943	0	36	7	0	0	0	1	0	64	24	0	1	0	11	5	0	0	0
		अजा	1	0	0	0	बी.एल / एल.बी.		356	115	0	6	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		अंजजा	1	0	0	0	नि:	शक्तजन	198	54	0	1	0	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		अपिव	2	0	0	0	0	0	458	220	0	13	1	27	8	0	0	0	27	8	0	0	0	6	1	0	0	0
		विपिव	0	0	0	0	0	0	33	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	9	3	0	0	0	0	656	546	0	14	6	30	16	0	1	0	28	16	0	1	0	3	4	0	0	0
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
कोर्ट के आदेशानुसार 01 सामान्य पुरुष																												
2	पशुपालन अधिकारी, पशुपालन विभाग, कुल पद 300	कुल	214	62	21	3	0	0	740	69	0	5	1	497	50	0	3	1	257	37	0	2	0	102	35	0	2	0
		अजा	61	18	6	1	05	पी.डी. एवं 04 एल.डी. /सी.पी.	61	5	0	0	0	56	4	0	0	0	14	4	0	0	0	14	4	0	0	0
		अंजजा	70	21	7	1	0	0	41	9	0	0	0	38	8	0	0	0	11	8	0	0	0	10+1 टी. एस. पी.	8	0	0	0
		अपिव	24	7	2	0	0	0	317	22	0	4	0	226	19	0	2	0	124	12	0	1	0	59	12	0	1	0
		विपिव	3	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	
		सा.	56	16	6	1	0	0	310	33	0	1	1	166	19	0	1	1	102	13	0	1	0	23	11	0	1	0
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
कोर्ट के आदेशानुसार 01																												
3	सहायक लोक	कुल	82	29	11	1	0	0	13264	2319	0	180	13	480	157	0	12	1	469	152	0	2	0	72	37	0	3	1

अभियोजक ग्रेड II, अभियोजन विभाग, कुल पद 159	अजा	17+01 टी.एस. पी.	5	2	0	04 एल. डी./सी. पी. (बी. एल.)	1789	206	0	28	1	62	21	1डी. वी.	2	0	62	19	0	1	0	15+1 टी. एस. पी.	7	0	0	0		
	अजजा	7+5 टी. एस.पी.+ 01 एस. एच.	4+1 टी. एस. पी.	1	0	0	0	654	67	0	3	0	45	15	1डी. वी.	0	0	41	13	0	0	0	5+7 टी. एस. पी.	4+2 टी. एस. पी.	0	0	0	
	अपिव	23	7	2	0	0	0	3736	563	0	50	3	123	44	2वी. + 3डी. वी.	3	0	119	41	0	0	0	34	16	0	0	0	
	विपिव	1	0	0	0	0	0	256	12	0	6	0	9	0	0	1	0	9	0	0	1	0	3	0	0	1	0	
	सा.	58	17	6	0	0	0	6829	1471	0	93	9	241	77	5वी.+ 2डी. वी.	6	1	238	79	0	0	0	35	14	1ड़ि. वी.	2	1	
	P.D.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								कोर्ट के आदेशानुसार 01							कोर्ट के आदेशानुसार 96							कोर्ट के आदेशानुसार 95						
क्र. सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या					प्राप्त आवेदन पत्र					साक्षात्कार हेतु आमंत्रित					उपस्थित					चयनित					
			पु.	म.	वि.	वि.	PD	पु.	म.	वि.	PD	पु.	म.	वि.	PD	पु.	म.	वि.	पु.	म.	वि.	पु.	म.	वि.	पु.	म.	वि.	पु.
4	परीवीक्षा एवं कारगृह कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कुल पद 23	कुल	18	5	0	0	0	0	1344	591	0	19	5	98	27	0	4	1	85	24	0	4	1	12	7	0	2	0
		अजा	3	1	0	0	0	01 बी. एल./एल. वी.	300	95	0	2	0	19	4	0	1	0	19	4	0	1	0	1	0	1	0	1
		अजजा	3	0	0	0	0	P.D.	163	37	0	0	0	11	1	0	0	0	10	1	0	0	0	2	1	0	0	0
		अपिव	3	1	0	0	0	0	429	162	0	8	1	33	9	0	3	1	26	8	0	3	1	3	2	0	1	0
		विपिव	0	0	0	0	0	0	20	6	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		सा.	9	3	0	0	0	0	432	291	0	9	4	33	13	0	0	0	28	11	0	0	0	6	3	0	0	0
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

5	व्याख्याता—कॉलेज शिक्षा— गणित	कुल	8	2	0	0	0	0	111	70	0	3	0	13	4	0	1	0	12	3	0	0	0	6	1	0	0	0	
		अज्ञा	5	1	0	0	0	0	22	11		1	0	10	1		1	0	9	0		0	0	6	0		0	0	
		अज्ञा	3	1	0	0	0	0	14	7	0	0	0	2+1 कोर्ट के आदेश द्वारा	0		0	0	1+1 कोर्ट के आदेश द्वारा	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		अपिव	0	0	0	0	0	0	31	10	0	1	0	1	0		0	0	1	0		0	0	0	0		0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	0	0	0	0	0	0	44	42	0	1	0	2	3		0	0	2	3		0	0	0	1		0	0	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	व्याख्याता—कॉलेज शिक्षा— विधि	कुल	11	4	0	0	0	0	261	129	0	8	1	44	13	0	0	0	38	7	0	0	0	10	5	0	0	0	
		अज्ञा	5	2	0	0	0	0	73	28		0	0	17	9		0	0	17	7		0	0	5	3		0	0	
		अज्ञा	5	2	0	0	0	0	33	7		0	0	23	4		0	0	17	1+1 कोर्ट के आदेश द्वारा			0	0	5	2		0	0
		अपिव	0	0	0	0	0	0	39	25		2	0	1	0		0	0	1	0		0	0	0	0		0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		सा.	1	0	0	0	0	0	116	69		6	1	3	0		0	0	3	0		0	0	0	0		0	0	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
7	सहायक आचार्य— विकित्सा शिक्षा विभाग— कार्डियोलॉजी	कुल	16	3	0	0	0	0	29	3	0	1	0	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	0	0	0
		अज्ञा	2	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		अज्ञा	1	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		अपिव	3	0	0	0	0	0	3	0		1	0	2	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
		सा.	10	3	0	0	0	0	26	3		0	0	20	1		0	0	10+1 कोर्ट के आदेश द्वारा	1+1 कोर्ट के आदेश द्वारा		0	0	10	1		0	0	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	

11	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— कार्डियो वस्क्यूलर एवं थोरेसिक सर्जरी	कुल	14	3	0	0	0	0	11	3	0	0	11	3	0	0	0	6	2	0	0	0	6	2	0	0	0	
		अज्ञा	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
		अजजा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अपिव	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	9	3	0	0	0	0	8	2	0	0	8	2	0	0	0	5	1	0	0	5	1	0	0	0	0	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— मेडिकल गोस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	कुल	6	1	0	0	0	0	21	1	20	0	0	20	1	0	0	0	12	0	0	0	0	5	0	0	0	
		अज्ञा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अजजा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अपिव	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	3	1	0	0	0	0	19	1	18	0	0	18	1	0	0	0	11	1 कोर्ट के आदेश द्वारा	0	0	0	5	0	0	0	0
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— पैथोलोजी	कुल	7	2	0	0	0	0	36	109	0	1	0	8	18	0	0	0	6	1	0	0	0	2	7	0	0	
		अज्ञा	1	0	0	0	0	0	7	13	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1+2 कोर्ट के आदेश द्वारा	0	0	0	0	1	0	0	0
		अजजा	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
		अपिव	1	0	0	0	0	0	4	3	0	0	2	1	0	0	0	2	1+1 कोर्ट के आदेश द्वारा	0	0	0	0	1	0	0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	4	2	0	0	0	0	23	91	1	0	4	13	0	0	0	3	11+3 कोर्ट के आदेश द्वारा	0	0	0	2	4	0	0	0	

		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 पद निःशक्तजन																											
14	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— कम्यूनिटी मेडिसिन पी. एण्ड एस.एम.	कुल	7	1	0	0	0	0	23	11	0	1	0	23	10	0	1	0	11	5	0	0	0	6	2	0	0
		अजा	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
		अजजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अपिव	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	6	1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सा.	5	1	0	0	0	0	16	10	1	0	16	9	1	0	8	5	0	0	4	2	0	0	0	0	0
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— स्त्री एवं प्रसूती रोग	कुल	29	10	0	0	0	0	43	361	0	0	1	13	117	0	0	0	9	0	0	0	0	6	33	0	0
		अजा	4	1	0	0	0	0	9	28	0	0	4	12	0	0	0	0	3+1 कोर्ट के आदेश द्वारा	11+4 कोर्ट के आदेश द्वारा	0	0	1	4	0	0	0
		अजजा	3	1	0	0	0	0	7	35	0	0	2	14	0	0	0	2	13+2 कोर्ट के आदेश द्वारा	0	0	0	4	0	0	0	0
		अपिव	6	2	0	0	0	0	5	26	0	0	5	16	0	0	0	5	14+1 कोर्ट के आदेश द्वारा	0	0	4	11	0	0	0	0
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सा.	16	6	0	0	0	0	22	272	0	1	2	75	0	0	0	2	69+5 कोर्ट के आदेश द्वारा	0	0	1	14	0	0	0	0
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 पद निःशक्तजन																											
16	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— पेडियाट्रिक्स मेडिसिन	कुल	26	8	0	0	0	0	260	30	0	2	0	107	14	0	2	0	0	1	0	2	0	26	6	0	2
		अजा	4	1	0	0	0	0	25	0	0	0	0	18	0	0	0	0	17+2 कोर्ट के आदेश द्वारा	0	0	0	5	0	0	0	0

		अजजा	3	0	0	0	0	0	30	1	0	0	9	0	0	0	9+3कोर्ट के आदेश द्वारा	0	0	0	0	3	0	0	0		
		अपिव	5	1	0	0	0	0	42	2	0	0	22	1	0	0	21+3कोर्ट के आदेश द्वारा	1	0	0	0	10	1	0	0		
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51+3कोर्ट के आदेश द्वारा	13+1कोर्ट के आदेश द्वारा	0	0	0	0	0	0	0		
		सा.	14	6	0	0	0	0	163	27	2	0	58	13	2	0	51+3कोर्ट के आदेश द्वारा	13+1कोर्ट के आदेश द्वारा	2	0	8	5	2	0	0		
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2 पद निःशक्तजन																									
17	सहायक आचार्य— विकित्सा शिक्षा विभाग— चर्म, रति एवं कुछ रोग	कुल	6	1	0	0	0	0	35	12	0	1	1	34	12	0	1	1	16	6	0	1	0	5	2	0	0
		अजा	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	4	2	0	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	
		अजजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अपिव	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	4	1	0	0	0	0	25	10	1	0	24	10	1	0	10	4	1	0	3	1	0	0	0	0	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	सहायक आचार्य— विकित्सा शिक्षा विभाग— रेडियोडायग्नोसिस	कुल	22	7	0	0	0	0	40	3	0	1	1	33	7	0	0	1	6	3	0	0	1	8	2	0	0
		अजा	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	4	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
		अजजा	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	
		अपिव	4	1	0	0	0	0	6	0	1	0	6	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	13	5	0	0	0	0	29	1	0	1	22	5	0	1	5+1कोर्ट के आदेश द्वारा	2	0	1	3	2	0	1	0	1	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 पद निःशक्तजन																									
19	सहायक आचार्य—	कुल	5	1	0	0	0	0	19	12	0	1	0	18	11	0	1	0	10	4	0	1	0	4	1	0	0

		चिकित्सा शिक्षा विभाग— रेडियोथेरेपी	अजा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			अंजजा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			अपिव	1	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	4	0	1	0	3	0	1	0	3	0	0	0		
			विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			सा.	3	1	0	0	0	0	15	11	0	0	14	10	0	0	7	4	0	0	1	1	0	0	0		
			P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1 पद निःशक्तजन																									
20	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— न्यूरो सर्जरी	कुल	6	1	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	13	0	0	0	0	5	0	0	0	
		अजा	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अंजजा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अपिव	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	3	1	0	0	0	0	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	12	0	0	0	5	0	0	0	0	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— माइक्रोबॉयलोजी	कुल	2	0	0	0	0	0	14	17	0	0	0	13	16	0	0	0	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0
		अजा	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2	2	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	
		अंजजा	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अपिव	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	1	0	0	0	0	0	9	14	0	0	0	9	13	0	0	2	6+1कोर्ट के आदेश द्वारा	0	0	0	1	0	0	0	0	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		कुल	18	6	0	0	0	0	156	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0
22	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— अस्थि रोग	अजा	1	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5+2कोर्ट के आदेश द्वारा	0	0	0	1	0	0	0	0	
		अंजजा	2	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	9	0	0	0	0	7+1कोर्ट के आदेश हेतु	0	0	0	3	0	0	0	0	

			सा.	2	0	0	0	0	0	8	14	0	1	0	8	5		1	0	4	3		1	0	2	1		0	0	
			P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	सहायक आचार्य- चिकित्सा शिक्षा विभाग— ई.एन.टी.	कुल	9	2	0	0	0	0	0	72	16	0	0	0	25	9	0	0	0	24	5	0	0	0	9	2	0	0	0	
		अजा	2	0	0	0	0	0	0	13	3		0	0	4	1		0	0	4	0		0	0	2	0		0	0	
		अजजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
		अपिव	2	0	0	0	0	0	0	6	0		0	0	5	0		0	0	5	0		0	0	2	0		0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
		सा.	5	2	0	0	0	0	0	53	13		0	0	16	8		0	0	15	5		0	0	5	2		0	0	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
26	सहायक आचार्य- चिकित्सा शिक्षा विभाग— ऑथलमोलोजी	कुल	10	2	0	0	0	0	0	73	58	0	0	0	19	14	0	0	0	6	12	0	0	0	9	3	0	0	0	
		अजा	2	0	0	0	0	0	0	8	2		0	0	4	2		0	0	4	1		0	0	2	0		0	0	
		अजजा	1	0	0	0	0	0	0	6	1		0	0	2	1		0	0	2	1		0	0	1	0		0	0	
		अपिव	2	0	0	0	0	0	0	8	4		0	0	4	0		0	0	4+1	0		0	0	3	0		0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
		सा.	5	2	0	0	0	0	0	51	51		0	0	9	11		0	0	7 कोर्ट के आदेश द्वारा		10		0	0	3	3		0	0
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0		
27	सहायक आचार्य- चिकित्सा शिक्षा विभाग— फार्माकॉलॉजी	कुल	2	0	0	0	0	0	0	10	12	0	0	0	6	10	0	0	0	1	9	0	1	0	2	0	0	0	0	
		अजा	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	
		अजजा	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	0	0	1		0	0	0	1		0	0	0	0		0	0	
		अपिव	0	0	0	0	0	0	0	2	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	
		सा.	2	0	0	0	0	0	0	7	11		0	0	5	9		0	0	1	8		1	0	2	0		0	0	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		0	0	
		कुल	4	0	0	0	0	0	0	14	6	0	1	0	7	5	0	0	0	0	2	0	0	0	4	1	0	0	0	
28	सहायक आचार्य- चिकित्सा शिक्षा	अजा	1	0	0	0	0	0	0	1	2		0	0	0	0	2		0	0	0	1		0	0	0	1		0	0

		विभाग— फिजिकल मेडिसन एवं रिहेबिलिटेशन	अजजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0				
			अपिव	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			सा.	3	0	0	0	0	0	0	12	4	1	0	7	3	0	0	5+1 कोर्ट के आदेश द्वारा	1	0	0	3	0	0	0	
			P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29		सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— सर्जिकल गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	कुल	2	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0
			अज्ञा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			अजजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			अपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			सा.	2	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	5	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	
			P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30		सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— नियोनेटोलोजी	कुल	1	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
			अज्ञा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			अजजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			अपिव	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			सा.	1	0	0	0	0	0	0	7	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
			P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31		सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— यूरोलोजी	कुल	5	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0	3	0	0
			अज्ञा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			अजजा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			अपिव	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
			विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			सा.	3	0	0	0	0	0	16	0	0	0	13	0	0	0	13	0	0	0	3	0	0	0		
			P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
32	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— एनाटोमी	कुल	5	1	0	0	0	0	8	24	0	0	0	6	20	0	0	0	3	12	0	0	0	1	4	0	0
		अजा	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अजजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अपिव	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	3	1	0	0	0	0	0	7	23	0	0	5	19	0	0	3	12	0	0	1	4	0	0	0	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— फोरेंसिक मेडिसिन	कुल	3	0	0	0	0	0	19	3	0	0	0	17	3	0	0	0	8	3	0	0	0	2	1	0	0
		अजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अजजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अपिव	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	3	0	0	0	0	0	17	3	0	0	0	15	3	0	0	7	3	0	0	1	1	0	0	0	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— रेडियोलोजिकल फिजिक्स	कुल	2	0	0	0	0	1	6	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
		अजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अजजा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अपिव	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	2	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— सर्जिकल	कुल	24	2	0	0	0	0	186	66	0	0	0	42	14	0	0	0	26	12	0	0	0	16	2	0	0
		अजा	12	1	0	0	0	0	93	33	0	0	0	21	7	0	0	0	13	6	0	0	0	8	1	0	0
		अजजा	9	1	0	0	0	0	83	33	0	0	0	19	7	0	0	0	13	6	0	0	0	7	1	0	0

			सा.	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 पद निःशक्तजन																								
42	सहायक आचार्य— चिकित्सा शिक्षा विभाग— मेडिकल गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी	कुल	3	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	11	1	0	0	0	3	1	0	0	0	3	0	0
		अज्ञा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अज्जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अपिव	1	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2+1	0	0	0	0	1	0	0
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सा.	2	0	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	6	1	0	0	0	3	1	0	0	0	2	0	0
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	वरिष्ठ प्रदर्शक— चिकित्सा शिक्षा विभाग— फोरेंसिक मेडिसिन	कुल	9	1	0	0	0	0	178	19	0	0	0	26	3	0	0	0	17	2	0	0	0	9	1	0	0
		अज्ञा	2	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0
		अज्जा	1	0	0	0	0	0	16	1	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
		अपिव	2	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	6	0	0	0	0	4	0	0	0	3	0	0	0	0
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सा.	4	1	0	0	0	0	101	18	0	0	0	12	3	0	0	0	8	2	0	0	3	1	0	0	0
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	वरिष्ठ प्रदर्शक— चिकित्सा शिक्षा विभाग— एनाटोमी	कुल	8	2	0	0	0	0	257	162	0	2	1	9	24	0	0	0	6	20	0	0	0	2	8	0	0
		अज्ञा	3	1	0	0	0	0	61	36	0	0	0	6	7	0	0	0	3	5	0	0	0	1	3	0	0
		अज्जा	0	0	0	0	0	0	13	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अपिव	1	0	0	0	0	0	80	21	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0

			विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			सा.	4	1	0	0	0	0	103	97	2	0	3	14	0	0	3	12	0	0	1	4	0	0			
			P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			1 पद निःशक्तजन																									
45	वरिष्ठ प्रदर्शक— चिकित्सा शिक्षा विभाग— फिजियोथेरेपी	कुल	14	4	0	0	0	0	377	256	0	10	1	17	37	0	2	0	9	30	0	1	0	5	12	0	1	0
		अजा	1	0	0	0	0	0	54	22		1	0	1	2		0	0	0	2		0	0	0	1		0	0
		अजजा	1	0	0	0	0	0	41	19		0	0	1	2		0	0	1	1		0	0	0	1		0	0
		अपिव	3	0	0	0	0	0	71	31		3	0	5	5		1	0	3	5		0	0	2	2		0	0
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सा.	9	4	0	0	0	0	211	184		6	1	10	28		1	0	5	22		1	0	3	8		1	0
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 पद निःशक्तजन																										
46	वरिष्ठ प्रदर्शक— चिकित्सा शिक्षा विभाग— बॉयोकेमिस्ट्री	कुल	11	2	0	0	0	0	350	188	0	3	0	20	28	0	0	0	13	25	0	0	0	6	7	0	0	0
		अजा	2	0	0	0	0	0	61	23		0	0	4	2		0	0	2	1		0	0	2	0		0	0
		अजजा	1	0	0	0	0	0	35	14		0	0	2	1		0	0	1	1		0	0	0	1		0	0
		अपिव	2	0	0	0	0	0	111	29		0	0	4	7		0	0	2	7		0	0	1	1		0	0
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सा.	6	2	0	0	0	0	143	122		3	0	10	18		0	0	8	16		0	0	3	5		0	0
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 पद निःशक्तजन																										
47	वरिष्ठ प्रदर्शक— चिकित्सा शिक्षा विभाग— फार्माकॉलॉजी	कुल	10	1	0	0	0	0	429	152	0	4	2	19	13	0	0	0	9	10	0	0	0	3	5	0	0	0
		अजा	0	0	0	0	0	0	29	12		0	0	1	0		0	0	1	0		0	0	0	0		0	0
		अजजा	3	0	0	0	0	0	51	14		1	0	4	3		0	0	1	3		0	0	0	0		0	0
		अपिव	2	0	0	0	0	0	150	22		0	0	4	2		0	0	2	2		0	0	1	1		0	0
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			सा.	5	1	0	0	0	199	104		3	2	10	8		0	0	5	5		0	0	2	4		0	0
			P.D.	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0
			1 पद निःशक्तजन																									
48	वरिष्ठ प्रदर्शक— चिकित्सा शिक्षा विभाग— माइक्रोबॉयलोजी	कुल	10	3	0	0	0	0	363	263	0	4	1	10	29	0	1	1	7	22	0	0	1	4	9	0	0	0
		अजा	1	0	0	0	0	0	50	32		0	0	1	2		0	0	1	1		0	0	1	1		0	0
		अजजा	1	0	0	0	0	0	37	24		0	0	0	3		0	0	0	2		0	0	0	1		0	0
		अपिव	0	0	0	0	0	0	87	26		1	0	1	2		0	0	1	1		0	0	0	0		0	0
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		सा.	8	3	0	0	0	0	189	181		3	1	8	22		1	1	5	18		0	1	3	7		0	0
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		1 पद निःशक्तजन																										
49	वरिष्ठ प्रदर्शक— चिकित्सा शिक्षा विभाग— पैथोलोजी	कुल	21	6	0	0	0	0	769	339	0	16	4	24	63	0	3	0	15	52	0	1	0	4	23	0	0	0
		अजा	2	0	0	0	0	0	106	45		1	0	1	5		0	0	1	3		0	0	0	2		0	0
		अजजा	3	1	0	0	0	0	69	27		0	0	7	5		0	0	4	5		0	0	1	3		0	0
		अपिव	4	1	0	0	0	0	246	5		4	1	4	12		0	0	4	12		0	0	1	5		0	0
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		सा.	12	4	0	0	0	0	348	262		11	3	12	41		3	0	6	32		1	0	2	13		0	0
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		1 पद निःशक्तजन																										
50	वरिष्ठ प्रदर्शक— चिकित्सा शिक्षा विभाग— कम्यूनिटी मेडिसिन पी. एण्ड	कुल	17	3	0	0	0	0	587	250	0	5	1	43	17	0	1	0	28	14	0	0	0	14	6	0	0	0
		अजा	3	0	0	0	0	0	118	35		0	0	4	5		0	0	3	4		0	0	2	1		0	0
		अजजा	2	0	0	0	0	0	69	21		1	0	5	1		1	0	4	1		0	0	1	1		0	0
		अपिव	3	0	0	0	0	0	45	30		1	1	9	0		0	0	5	0		0	0	5	0		0	0

	1 पद निःशक्तजन																												
54	यूनानी चिकित्सा अधिकारी— आयुर्वेद विभाग	कुल	19	5	0	0	0	0	988	182	0	8	1	55	16	0	0	0	47	13	0	0	0	16	5	0	0	0	
		अज्ञा	3	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
		अजजा	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		अपिव	4	1	0	0	0	0	181	17	3	0	21	4	0	0	0	16	3	0	0	10	3	0	0	0	0	0	
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		सा.	10	4	0	0	0	0	802	165	5	1	31	12	0	0	0	29	10	0	0	4	2	0	0	0	0	0	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	होमियोपैथिक चिकित्सा अधिकारी— आयुर्वेद विभाग	कुल	33	10	0	0	1	0	1909	1259	0	25	8	97	89	0	3	2	85	74	0	3	2	25	17	0	1	0	
		अज्ञा	5	1					133	75	1	0	12	10	0	0	0	12	9	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
		अजजा	4	1					59	35	0	0	13	7	0	0	0	13	7	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
		अपिव	7	2					342	157	8	1	20	17	1	0	0	20	17	1	0	8	4	1	0	0	0	0	0
		विपिव	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सा.	17	6					1375	992	16	7	52	55	2	2	0	40	41	2	2	10	9	0	0	0	0	0	0
		P.D.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग		कुल	867	222	32	4	15	1	27604	9957	20	352	58	2295	977	14	42	8	1755	833	0	23	6	582	292	1	12	2	
		अज्ञा	170	34	8	1	15	0	3561	903	0	44	3	293	105	1	5	0	229	92	0	2	0	90	36	0	1	0	
		अजजा	147	32	8	1	0	0	1738	500	0	6	1	200	83	1	1	1	151	76	0	0	0	56	33	0	0	0	
		अपिव	133	29	4	0	0	1	7107	1657	2	105	10	630	165	5	12	1	475	149	0	6	1	187	67	0	3	0	
		विपिव	4	0	0	0	0	0	320	26	0	8	0	22	0	0	1	0	17	0	0	1	0	10	0	0	1	0	
		सा.	413	127	12	2	0	0	14878	6871	18	189	44	1150	624	7	23	6	883	516	0	14	5	239	156	1	7	2	
		P.D.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

परिशिष्ट – 7(घ)

पद विज्ञापित किए गए, किन्तु चयन अपूर्ण रहा

क्र.सं.	विभाग/पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रुपयों में)
1	नगर नियोजन विभाग सहायक नगर नियोजक	32	15600-39100 (GP- 5400)
2	सहायक नगर नियोजक (पी.आर.)	06	15600-39100 (GP-5400)
3	<u>महाविद्यालय शिक्षा – व्याख्याता –</u> गृह विज्ञान (बाल विकास)	03	15600-39100 (GP-6000)
4	गृह विज्ञान (क्लोथिंग टैक्सटाइल)	02	15600-39100 (GP-6000)
5	गृह विज्ञान (शिक्षा विस्तार)	02	15600-39100 (GP-6000)
6	गृह विज्ञान (फूड न्यूट्रिशन)	03	15600-39100 (GP-6000)
7	गृह विज्ञान (गृह प्रबन्धन)	02	15600-39100 (GP-6000)
8	निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर्स, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग	12	15600-39100 (GP-5400)
9	<u>कृषि विभाग</u> कृषि अधिकारी	27	15600-39100 (GP-5400)
10	कृषि अनुसंधान अधिकारी (शास्य)	03	15600-39100 (GP-5400)
11	कृषि अनुसंधान अधिकारी	01	15600-39100 (GP-5400)
12	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कीट)	01	9300-34800 (GP-4200)
13	सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी (कृषि रसायन)	04	9300-34800 (GP-4200)
14	सहायक कृषि अधिकारी	231	9300-34800 (GP-3600)
15	कनिष्ठ रसायनज्ञ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	7	9300-34800 (GP-4200)
16	<u>भू-जल विभाग</u> सहायक अभियन्ता (यांत्रिकी)	5	15600-39100 (GP-5400)
17	कनिष्ठ रसायनज्ञ	01	15600-39100 (GP-5400)
18	तकनीकी सहायक (हाइड्रोजियोलोजी)	07	9300-34800 (GP-3600)
19	<u>खान एवं भू-विज्ञान विभाग</u> सहायक खनि अभियन्ता	07	15600-39100 (GP-5400)
20	रसायनज्ञ	01	15600-39100 (GP-5400)
21	<u>तकनीकी शिक्षा विभाग– प्रवक्ता –</u> सिविल अभियांत्रिकी	62	15600-39100 (GP-5400)
22	कम्प्यूटर अभियांत्रिकी	32	15600-39100 (GP-5400)
23	विद्युत अभियांत्रिकी	16	15600-39100 (GP-5400)
24	यांत्रिकी अभियांत्रिकी	46	15600-39100 (GP-5400)
25	इलेक्ट्रोनिक्स अभियांत्रिकी	16	15600-39100 (GP-5400)
26	रसायन शास्त्र	31	15600-39100 (GP-5400)
27	भौतिक शास्त्र	31	15600-39100 (GP-5400)
28	कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग	03	15600-39100 (GP-5400)
29	टैक्सटाइल डिजाइनिंग	03	15600-39100 (GP-5400)
30	अधीक्षक	12	15600-39100 (GP-5400)
31	ग्रुप अनुदेशक / सर्वेयर / सहायक शिक्षुता सलाहकार ग्रुप ॥	30	9300-34800 (GP-4200)
32	<u>वन विभाग</u> सहायक भू-संरक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी)	03	15600-39100 (GP-5400)
33	सहायक भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि)	01	15600-39100 (GP-5400)

क्र.सं.	विभाग/पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान (रुपयों में)
34	<u>मत्स्य पालन विभाग</u> सहायक मत्स्य विकास अधिकारी	04	9300-34800 (GP-3600)
35	<u>राज्य अभिलेखागार विभाग</u> रसायनज्ञ	01	9300-34800 (GP-3600)
36	<u>विद्युत निरीक्षणालय विभाग</u> सहायक विद्युत निरीक्षक	06	15600-39100 (GP-5400)
37	<u>चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</u> आहारविद	01	9300-34800 (GP-3600)
38	<u>सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग</u> सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	34	9300-34800 (GP-3200)
39	जनसम्पर्क अधिकारी	06	9300-34800 (GP-4200)
40	<u>आयोजना विभाग</u> सांचियकी अधिकारी,	25	9300-34800 (GP-4200)
41	मूल्यांकन अधिकारी	07	9300-34800 (GP-4200)
42	<u>राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग</u> मण्डलीय अधीक्षक	01	9300-34800 (GP-3600)
43	<u>महाविद्यालय शिक्षा विभाग</u> व्याख्याता – व्यावसायिक प्रशासन	16	15600-39100 (GP-6000)
44	<u>चिकित्सा शिक्षा विभाग</u> सहायक आचार्य – जनरल मेडिसन	35	15600-39100
45	जनरल सर्जरी	40	15600-39100
46	क्षय एवं वक्ष रोग	13	15600-39100
47	मनोरोग	11	15600-39100
48	निश्चेतनता	21	15600-39100
49	नेत्ररोग	03	15600-39100
50	<u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</u> नर्सिंग ट्यूटर	61	9300-34800
51	फिजियोथेरेपिस्ट	36	9300-34800
52	<u>पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग</u> मुद्राशास्त्री	01	9300-34800
53	खोज एवं उत्खनन अधिकारी	01	15600-39100
	योग :-	966	

परिशिष्ट – 7(ड)

अभ्यर्थियों की न्यूनतम सूची हेतु आयोजित संवीक्षा परीक्षाएँ

क्र.सं.	विभाग / पद नाम	पदों की संख्या	आवेदक	परीक्षा की दिनांक	उपस्थित
1	<u>विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</u> वरिष्ठ प्रदर्शक— फॉर्माकोलोजी	11	587	15.04.2012	208
2	वरिष्ठ प्रदर्शक— कम्यूनिटी मेडिसन (पी. एवं एस.एम.)	20	1043	15.04.2012	371
3	नर्सिंग ट्यूटर	61	3524	30.08.2012	2523
4	फिजियोथेरेपिस्ट	36	1839	30.08.2012	1419
5	<u>विकित्सा शिक्षा विभाग</u> सहायक आचार्य – आर्थोपेडिक्स	24	156	01.07.2012	109
6	पेडियाट्रिक्स	34	292	01.07.2012	188
7	जनरल सर्जरी	40	323	01.07.2012	224
8	वरिष्ठ प्रदर्शक— फोरेंसिक मेडिसन	10	197	18.06.2012	110
9	वरिष्ठ प्रदर्शक— एनाटोमी	10	422	18.06.2012	113
10	वरिष्ठ प्रदर्शक— माइक्रोबॉयलोजी	13	631	19.06.2012	199
11	वरिष्ठ प्रदर्शक— पैथोलोजी	27	1177	19.06.2012	399
12	वरिष्ठ प्रदर्शक— दन्त	01	1449	20.06.2012	414
13	<u>तकनीकी शिक्षा विभाग— प्रवक्ता –</u> रसायन शास्त्र	31	3742	06.08.2012	1998
14	यांत्रिकी अभियांत्रिकी	46	2022	06.08.2012	1135
15	सिविल अभियांत्रिकी	62	1100	06.08.2012	616
16	कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग	03	215	06.08.2012	133
17	कम्प्यूटर अभियांत्रिकी	32	4046	06.08.2012	2314
18	टैक्सटाइल डिजाइनिंग	03	274	06.08.2012	152
19	इलेक्ट्रोनिक्स अभियांत्रिकी	16	3529	07.08.2012	1887
20	विद्युत अभियांत्रिकी	16	2102	07.08.2012	1066
21	भौतिक शास्त्र	31	1433	08.08.2012	758
22	<u>कृषि विभाग</u> सहायक कृषि अधिकारी	231	5901	18.05.2012	4261
23	कृषि अधिकारी	27	2033	19.05.2012	1424
24	<u>सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग</u> सहायक जनसम्पर्क अधिकारी	34	4233	22.08.2012	2922
25	जनसम्पर्क अधिकारी	06	2173	22.08.2012	1546
26	<u>नगर नियोजन विभाग</u> सहायक नगर नियोजक (पी.आर.)	06	1117	29.08.2012	474
27	सहायक नगर नियोजक	32	379	29.08.2012	214
28	<u>आयुर्वेद विभाग</u> सहायक निदेशक आयुर्वेद/जिला आयुर्वेद अधिकारी/प्रभारी अधिकारी फॉर्मसी	24	552	28.08.2012	385
29	थवेचक	10	1313	29.08.2012	659
30	<u>जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग</u> कनिष्ठ रसायनज्ञ	07	1276	27.02.2013	519
31	<u>बन विभाग</u> सहायक भू-संरक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी)	03	192	27.02.2013	106
32	<u>राज्य अभिलेखागार विभाग</u> रसायनज्ञ	01	145	28.02.2013	67
33	<u>भू-जल विभाग</u> तकनीकी सहायक (हाइड्रोजियोलोजी)	07	118	28.02.2013	72
	योग :-	915	49535		28985

परिशिष्ट – 7 (च)

पदों की सूची जिनकी अर्थना विज्ञापनोपरान्त परन्तु साक्षात्कार से पूर्व निरस्त कर दी गई

क्रम संख्या	पद/विभाग का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
— शून्य —			

परिशिष्ट – 7 (छ)

पद जिनके लिये साक्षात्कार आयोजित किये गये परन्तु कोई भी अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया

क्रम संख्या	पद/विभाग का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
— शून्य —			

परिशिष्ट – 7 (ज)

पद जिनके लिये आरक्षित सूची से नाम अभिस्तावित किये गये

क्रम संख्या	पद/विभाग का नाम	पदों की संख्या
1	पशुचिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग	05
2	प्राध्यापक– अर्थशास्त्र (स्कूल शिक्षा)	03
3	प्राध्यापक– हिन्दी (स्कूल शिक्षा)	01
4	व्याख्याता– इतिहास (कॉलेज शिक्षा)	03
5	व्याख्याता– वनस्पति शास्त्र (कॉलेज शिक्षा)	01
6	व्याख्याता– प्राणीशास्त्र (कॉलेज शिक्षा)	02
7	व्याख्याता– राजनीति विज्ञान (कॉलेज शिक्षा)	02
8	व्याख्याता–अंग्रेजी (कॉलेज शिक्षा)	01
	योग	18

परिशिष्ट – 7 (झ)

पद विज्ञापित किए गए परन्तु किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया

क्रम संख्या	पद/विभाग का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	— शून्य —		

परिशिष्ट – 8 (क)

निःशक्त जन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध अभिस्तावित अभ्यर्थियों का विभागानुसार विवरण

क्र.सं.	विभाग	पदों की संख्या	आवेदक	साक्षात्कार		चयनित
				आमंत्रित	उपस्थित	
1	<u>चिकित्सा शिक्षा विभाग</u> सहायक आचार्य – पेडियाट्रिक्स मेडिसन	02	02	02	02	02
2	रेडियोडायग्नोसिस	01	01	01	01	01
3	स्किन, वी.डी. एवं लेप्सी	01	11	02	01	01
4	<u>वरिष्ठ प्रदर्शक-</u> फिजियोलॉजी	01	04	02	01	01

नोट:-

क्र.सं.	विभाग / पोस्ट	विवरण
1	<u>चिकित्सा शिक्षा विभाग</u> सहायक आचार्य पैथोलॉजी	01 पद आरक्षित था। 01 अभ्यर्थी ने आवेदन किया किन्तु संवीक्षा परीक्षा के दौरान अनुस्थित रहा। अतः पद रिक्त रहा।
2	स्त्री एवं प्रसूती	02 पद आरक्षित था। 01 अभ्यर्थी ने आवेदन किया किन्तु संवीक्षा परीक्षा के दौरान अनुस्थित रहा। अतः पद रिक्त रहा।
3	रेडियोथेरेपी	01 पद आरक्षित था। 01 अभ्यर्थी ने आवेदन किया। साक्षात्कार उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया। अतः पद रिक्त रहा।
4	अस्थि रोग	01 पद आरक्षित था। परन्तु किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया। अतः पद रिक्त रहा।
5	निश्चेतन	02 पद आरक्षित था। परन्तु किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया। अतः पद रिक्त रहा।
6	ई.एन.टी.	01 पद आरक्षित था। 01 अभ्यर्थी ने आवेदन किया। साक्षात्कार उपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया। अतः पद रिक्त रहा।
7	न्यूरोसर्जरी	01 पद आरक्षित था। परन्तु किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया। अतः पद रिक्त रहा।
8	पेडियाट्रिक सर्जरी	01 पद आरक्षित था। परन्तु किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया। अतः पद रिक्त रहा।
9	नेफ्रोलॉजी	01 पद आरक्षित था। परन्तु किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया। अतः पद रिक्त रहा।
10	मेडिकल गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी	01 पद आरक्षित था। परन्तु किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया। अतः पद रिक्त रहा।
11	<u>वरिष्ठ प्रदर्शक</u> एनाटोमी	01 पद आरक्षित था। 03 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया किन्तु संवीक्षा परीक्षा के दौरान अनुस्थित रहे। अतः पद रिक्त रहा।
12	माइक्रोबॉयलोजी	01 पद आरक्षित था। 02 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जिसमें से एक अभ्यर्थी अनुस्थित रहा एवं एक अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया। अतः पद रिक्त रहा।
13	पैथोलॉजी	01 पद आरक्षित था। 03 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जिसमें से दो अभ्यर्थी अनुस्थित रहे एवं एक अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया। अतः पद रिक्त रहा।
14	बॉयोकेमिस्ट्री	01 पद आरक्षित था। 03 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया किन्तु संवीक्षा परीक्षा के दौरान अनुस्थित रहे। अतः पद रिक्त रहा।
15	कम्प्यूनिटी मेडिसन	01 पद आरक्षित था। 01 अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया किन्तु अनुस्थित रहा। अतः पद रिक्त रहा।
16	फोरेंसिक मेडिसन	01 पद आरक्षित था। परन्तु किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया। अतः पद रिक्त रहा।
17	<u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</u> मेडिकल अधिकारी (दन्त)	01 पद आरक्षित था। 03 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जिसमें से दो अभ्यर्थी उपस्थित हुए परन्तु उन्हें योग्य नहीं पाया गया। अतः पद रिक्त रहा।

परिशिष्ट – 8 (ख)

आरक्षित पदों का विवरण जिनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछ़ा वर्ग के किसी भी अभ्यर्थी ने आवेदन नहीं किया

क्र.सं.	विभाग/पद	आरक्षित पदों की संख्या		
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
1	चिकित्सा शिक्षा विभाग सहायक आचार्य : कार्डियोलोजी	02	01	-
2	नेफ्रोलोजी	01	-	-
3	न्यूरोलोजी	-	01	01
4	प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी	01	-	-
5	कार्डियो वस्क्यूलर एवं थोरेसिक सर्जरी	-	01	-
6	रेडियो थेरेपी	-	01	-
7	मेडिकल गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	01	01	-
8	न्यूरो सर्जरी	-	01	-
9	शिशु शल्य	-	01	-
10	फिजियोलोजी	01	-	-
11	यूरोलोजी	01	01	-
12	एनाटॉमी	01	-	-
	योग	08	08	01

परिशिष्ट – 9

चिरकालिक प्रकरण–विभागों द्वारा तदर्थ/अस्थायी नियुक्तियों
के प्रकरणों के नियमन में विलम्ब

क्र.स.	विभाग/पद का नाम	पदधारकों की संख्या
5 वर्ष एवं इससे अधिक समय से निरन्तर चल रही तदर्थ नियुक्तियाँ		
1	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी	256
10 वर्ष एवं इससे अधिक समय से निरन्तर चल रही तदर्थ नियुक्तियाँ		
2	सहायक आचार्य, विकिरण निदान	1
	योग :	257

परिशिष्ट – 10

आयोग द्वारा अनुमोदित पदोन्नति यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध शासन द्वारा की गई अस्थायी
नियुक्तियों के प्रकरण

क्र.सं.	विभाग / पद का नाम	व्यक्तियों की संख्या
1	<u>शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग</u> 1. आचार्य— न्यायदर्शन	01
2	<u>शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग</u> 1. वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)	55
3	<u>कार्मिक (क-4 अनु.-2) विभाग</u> 1. सहायक सचिव, सचिवालय सेवा 2. अनुभाग अधिकारी, सचिवालय सेवा 3. उप सचिव, सचिवालय सेवा (निजी सचिव संवर्ग से) 4. उप सचिव, सचिवालय सेवा (सहायक सचिव, सचिवालय सेवा संवर्ग से) 5. निजी सचिव, सचिवालय सेवा 6. सहायक सचिव, सचिवालय सेवा 7. उप सचिव, शासन (निजी सचिव संवर्ग से) सचिवालय सेवा 8. उप सचिव, शासन (सहायक सचिव, शासन संवर्ग से) सचिवालय सेवा 9. अनुभाग अधिकारी, सचिवालय सेवा 10. निजी सचिव, सचिवालय सेवा 11. राजस्थान प्रशासनिक सेवा उत्कृष्ट समय मान	23 34 01 04 05 20 01 03 29 05 11
4	<u>खान (ग्रुप-1) विभाग</u> अतिरिक्त निदेशक, भू—गर्भ शास्त्री	01
5	<u>श्रम एवं नियोजन विभाग</u> 1. संयुक्त निदेशक	01
6	<u>चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग</u> 1. प्रोफेसर एवं एसोसियट प्रोफेसर, मेडिसन 2. एसोसियट प्रोफेसर, टी.बी. एवं चेर्स्ट 3. प्रोफेसर, सर्जरी 4. एसोसियट प्रोफेसर, पेडियाट्रिक मेडिसन	09 01 03 12
	योग :	219

परिशिष्ट – 11

आयोग द्वारा अनुमोदित सीधी भर्ती यथांश (कोटा) पदों के विरुद्ध^{शासन द्वारा की गई, अस्थायी नियुक्तियों के प्रकरण}

क्र.सं.	विभाग/पद का नाम	व्यक्तियों की संख्या
1	चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप – 1) – 1. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	03
	2. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), विभिन्न मेडिकल कॉलेज	34
	3. सहायक आचार्य – सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	01
	4. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), विभिन्न मेडिकल कॉलेज	18
	5. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), विभिन्न मेडिकल कॉलेज	45
	6. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), विभिन्न मेडिकल कॉलेज	79
	7. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	03
	8. सहायक आचार्य – सर्जरी, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	01
	9. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), विभिन्न मेडिकल कॉलेज	64
	10. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), विभिन्न मेडिकल कॉलेज	41
	11. सहायक आचार्य – सर्जिकल गेस्ट्रोएण्ट्रोलोजी, मेडिकल कॉलेज, जयपुर	01
	12. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), विभिन्न मेडिकल कॉलेज	21
	13. सहायक आचार्य एवं वरिष्ठ प्रदर्शक (विभिन्न विषय), मेडिकल कॉलेज, बीकानेर एवं उदयपुर	15
2	नगर नियोजन विभाग 1. सहायक नगर नियोजक (31-03-2012 तक) [ए.टी.पी.– 29 + ए.टी.पी. (पी.आर.) - 4]	33
	2. सहायक नगर नियोजक (31-03-2013 तक)	33
3	जल संसाधन विभाग 1. सहायक अभियन्ता	01
4	तकनीकी शिक्षा विभाग 1. व्याख्याता, यांत्रिकी अभियन्ता	01

परिशिष्ट – 12

शासन द्वारा पदोन्नति यथांश (कोटा)/सीधी भर्ती के पदों के विरुद्ध अस्थायी रूप से की गई नियुक्तियों के प्रकरण, जो कि सूचना के अभाव में लम्बित रहे

क्र. सं.	विभाग/पद का नाम	व्यक्तियों की संख्या	
		सीधी भर्ती कोटा	पदोन्नति कोटा
1	<u>तकनीकी शिक्षा विभाग</u> 1. व्याख्याता	13	–
2	<u>सार्वजनिक निर्माण विभाग</u> 1. सहायक अभियन्ता, सिविल 2. अधीक्षण अभियन्ता, यांत्रिकी	–	09 01
3	<u>खान (ग्रुप-1) विभाग</u> अतिरिक्त निदेशक, भू-गर्भ शास्त्री	–	01
4	<u>जल संसाधन विभाग</u> 1. सहायक अभियन्ता	49	–
5	<u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग</u> 1. चिकित्सा अधिकारी 2. चिकित्सा अधिकारी (वर्ष 2010–11 से लम्बित)	01 370	–
6	<u>शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग</u> 1. प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा)	–	11
7	<u>कृषि विभाग</u> 1. सहायक कृषि अधिकारी (वर्ष 2008–09 से लम्बित)	–	216
8	<u>पर्यटन विभाग</u> 1. सहायक निदेशक – पर्यटन(वर्ष 2009–10 से लम्बित)	–	03
	योग	433	241

परिशिष्ट – 13

अस्थाई नियुक्तियों की प्रारम्भिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् आयोग को विलम्ब से भेजे गये प्रकरण

क्र.सं.	विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या जिन्हें भेजने में विलम्ब हुआ		
		1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	दो वर्ष से अधिक
1	<u>तकनीकी शिक्षा विभाग</u> 1. व्याख्याता	–	–	13
2	<u>श्रम कल्याण विभाग</u> 1. संयुक्त निदेशक	–	–	01
3	<u>जल संसाधन विभाग</u> 1. सहायक अभियन्ता	–	–	01
	2. सहायक अभियन्ता	–	–	48
4	<u>सार्वजनिक निर्माण विभाग</u> 1. अधीक्षण अभियन्ता, यांत्रिकी	–	–	01

परिशिष्ट - 14

आयोग द्वारा निस्तारित विभिन्न सेवा नियमों/अनुसूचियों से सम्बन्धित प्रारूप संशोधन

क्र. सं.	सेवा नियम का नाम	संशोधनों की संख्या	
		नियम	अनुसूची
राज्य सेवा :			
1	राजस्थान सचिवालय सेवा नियम, 1954	5	—
2	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975	—	1
3	राजस्थान श्रम कल्याण सेवा नियम, 1958	3	1
4	राजस्थान सहकारिता सेवा नियम, 1954	5	—
5	राजस्थान खान एवं भू-विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	4	3
6	राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979	1	1 (सम्पूर्ण अनुसूची)
7	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963	5	—
8	राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981	—	7
9	राजस्थान भू-जल सेवा नियम, 1969	—	1
10	राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी, होमियोपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973	7	4
11	राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951	—	2
12	राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा नियम, 1986	—	2
13	राजस्थान कृषि सेवा नियम, 1960	2	2
14	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992	7	10
15	राजस्थान सचिवालय पुस्तकालाध्यक्ष राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1997	—	1
16	राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1991	—	2
17	राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	7	1 (सम्पूर्ण अनुसूची)
18	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999	—	1 (सम्पूर्ण अनुसूची)
19	राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010	7	5
20	राजस्थान तकनीकी शिक्षा (अभियांत्रिकी) सेवा नियम, 2010	—	8
21	राजस्थान खैचिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010	—	1
22	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963	1	2
23	राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित अधिकारी) नियम एवं विनियम, 1991	2	1
24	राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962	1	—
अधीनस्थ सेवा :			
25	राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970	—	1
26	राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2001	—	4
27	राजस्थान खान एवं भू-विज्ञान अधीनस्थ सेवा नियम, 1960	3	2
28	राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978	1	2
29	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977	1	1
30	राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1979	—	2
31	राजस्थान लेखा अधीनस्थ सेवा नियम, 1963	1	—
32	राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (जनस्वास्थ्य शाखा) नियम, 1967	1	4
33	राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975	—	6

34	राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी, होमियोपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम, 1966	7	—
35	राजस्थान सिविल सेवाएं (भूतपूर्व सैनिकों का संविलयन) नियम, 1988	2	—
36	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989	32	9
37	राजस्थान कारागृह अधीनस्थ सेवा नियम, 1998	1	1
38	राजस्थान लोक सेवा आयोग (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवा) नियम एवं विनियम, 1999	—	1
	विविध :		
39	नियम पुस्तिका भाग—। में संशोधन	4	—
40	विभिन्न सेवा नियमों में सीधी भर्ती हेतु नियुक्ति रोस्टर के अनुसार अनिवार्य करने संबंधी संशोधन	4	—
41	विभिन्न सेवा नियमों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु रिक्तियों में आरक्षण संबंधी संशोधन	3	—
42	विभिन्न सेवा नियमों में राजकीय सेवाओं में स्थायीकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता अनिवार्य करने संबंधी संशोधन	3	—
	योग :	120	98

परिशिष्ट – 14 (क)

नवीन सेवा नियमों के प्रारूप

क्र.सं.	सेवा नियम का नाम (प्रारूप)
1.	राजस्थान भाषा एवं पुस्तकालय (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2013
2.	राजस्थान अबुल कलाम आज़ाद अरबी एवं फ़ारसी शोध संस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2012

परिशिष्ट – 15

नवीन सेवा नियम अथवा शासन द्वारा प्रख्यापित विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन

क्र.सं.	सेवा नियम का नाम
1	राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970
2	राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977
3	राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम, 1977
4	राजस्थान राज्य बीमा सेवा नियम, 1959
5	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963
6	राजस्थान सिविल सेवाएं (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी एवं शोध अधिकारी के विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 1986
7	राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951
8	राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992
9	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999
10	राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010
11	राजस्थान पेट्रोलियम राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2012
12	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963
13	राजस्थान सिविल सेवाएं (राज्य विशेष शाखा राजस्थान के सुरक्षा विंग में व्यवितओं की नियुक्ति के विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2012
14	राजस्थान सिविल सेवाएं (राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना में व्यवितओं की नियुक्ति के विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2013

15	राजस्थान लोक सेवा आयोग (राजपत्रित अधिकारी) नियम एवं विनियम, 1951
16	राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2012
17	राजस्थान खैचिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010
18	राजस्थान विधि राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1981
19	राजस्थान सिविल सेवाएं (अभियांत्रिकी खण्ड में व्यक्तिओं की नियुक्ति के विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2012
20	राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1978
21	राजस्थान शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1971
22	राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम, 1963
23	राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम, 1971
24	राजस्थान सर्किट हाऊस अधीनस्थ सेवा नियम, 1979
25	राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1961
26	राजस्थान सचिवालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1970
27	राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989
28	राजस्थान ग्रामीण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 2008
29	राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965
30	राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम, 1978
31	राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986
32	राजस्थान लोक सेवा आयोग (मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ सेवाएं) नियम एवं विनियम, 1999
33	राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999
34	नियम पुस्तिका भाग—। में संशोधन
35	राजस्थान सिविल सेवा (प्रणाली) नियम, 1971
36	राजस्थान सरकारी मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996
37	विभिन्न सेवा नियमों में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु नियुक्ति रोस्टर के अनुसार अनिवार्य करने संबंधी संशोधन
38	राजस्थान अधीनस्थ सेवाएं (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2001 में संशोधन

परिशिष्ट – 16

सशस्त्र सैन्य बल/अर्द्ध सैन्य बल सेवा के मृत/स्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत आयोग को संदर्भित प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	सशस्त्र सैन्य बल/अर्द्ध सैन्य बल के मृत/स्थायी रूप से अक्षम कर्मचारियों के नाम/पद/यूनिट	शहीद होने का दिनांक	आश्रित, जिसकी नियुक्ति की जानी है	पद जिस पर नियुक्ति की जानी है	अन्युक्ति
1.	शहीद सैनिक श्री राजेश कुमार फगेरिया	28-01-2011	पत्नी	अध्यापक – ग्रेड- ॥	आयोग के पत्र दिनांक 29.10.2012 द्वारा आयोग की सहमति प्रदान की गई।
2	शहीद सैनिक श्री अशोक कुमार यादव	10-02-2012	पत्नी	नायब तहसीलदार	प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक प्रकरण आयोग के विचाराधीन रहा।
3	शहीद सैनिक श्री मुकेश भास्कर	—	पत्नी	नायब तहसीलदार	प्रतिवेदनाधीन वर्ष के अन्त तक जवाब बोर्ड

					से प्रतीक्षित रहा।
--	--	--	--	--	--------------------

परिशिष्ट – 17

डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र/परीक्षा को मान्यता देने संबंधी आयोग को भेजे गये प्रकरण

क्र. सं.	डिग्री/डिप्लोमा का नाम
1	भाग 'क' एवं 'ख' की मान्यता हेतु उप सदस्यता अध्ययन समतुल्य डिग्री एवं पार्ट । व ॥ तकनीकी अभियन्ता (टी) समतुल्य डिप्लोमा सिविल अभियन्ता एवं आर्किटेक्चर अभियन्ता अध्ययन सिविल अभियन्ता संस्थान (भारत), लुधियाना, पंजाब द्वारा संचालित संबंधी ।

परिशिष्ट – 18

Examination/Interviews conducted and recommendations sent during the year

क्र.सं.	पद व विभाग का नाम	वर्ग	पदों की संख्या			कुल आवेदक			उपस्थित अभ्यर्थी			साक्षात्कार / द्वितीय चरण परीक्षा हेतु पात्र			साक्षात्कार लिए गए			अभिस्तावित		
			पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1	राजस्थान न्यायाधिक सेवा (प्रा.) परीक्षा, 2011	कुल	73	28	101	19319	7223	26542	10333	4099	14432									
		अजा	12	4	16	2340	499	2839	1615	361	1976									
		अजजा	9	3	12	933	194	1127	678	137	815									
		अपिव	15	6	21	4081	1162	5243	2625	834	3459									
		विपिव	0	0	0	239	31	270	153	24	177									
		सा.	37	15	52	11726	5337	17063	5262	2743	8005									
2	राजस्थान न्यायाधिक सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2011	कुल			0	1470	574	2044			0	मुख्य परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित								
		अजा			0	215	70	285			0									
		अजजा			0	319	95	414			0									
		अपिव			0	266	105	371			0									
		विपिव			0	7	0	7			0									
		सा.			0	663	304	967			0									
3	प्रोग्रामर परीक्षा, 2011	कुल	83	34	117	2669	428	3097	1590	218	1808	35	5	40	केवल लिखित परीक्षा द्वारा चयन			31	4	35
		अजा	13	5	18	222	16	238	126	3	129	3	0	3				3	0	3
		अजजा	10	4	14	70	6	76	40	0	40	1	0	1				1	0	1
		अपिव	17	7	24	717	86	803	452	47	499	12	2	14				11	2	13
		विपिव	1	0	1	17	6	23	12	5	17	0	0	0				0	0	0
		सा.	42	18	60	1643	314	1957	960	163	1123	19	3	22				16	2	18
4	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक) परीक्षा, 2011	कुल	53	20	73	1305	131	1436	799	73	872	55	18	73	केवल लिखित परीक्षा द्वारा चयन			51	16	67
		अजा	8	3	11	106	5	111	72	3	75	9	3	12				9	3	12
		अजजा	6	2	8	52	3	55	36	3	39	9	1	10				8	1	9

		अपिव	11	4	15	225	18	243	139	8	147	19	3	22	18	3	21	
		विपिव	0	0	0	8	2	10	7	1	8	1	1	2	1	1	2	
		सा.	28	11	39	914	103	1017	545	58	603	17	10	27	15	8	23	
5	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (प्रा.) परीक्षा, 2012	कुल	855	356	1211	284866	103021	387887	190291	64887	255178							
		अजा	132	61	193	64017	18692	82709	44280	11527	55807							
		अजजा	92	41	133	51523	14936	66459	33994	9203	43197							
		अपिव	177	71	248	83587	32293	115880	59552	21289	80841							
		विपिव	9	1	10	7583	1422	9005	5694	981	6675							
		सा.	445	182	627	78156	35678	113834	46771	21887	68658							
6	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी (मु.) परीक्षा, 2012	कुल			0	18515	6511	25026	मुख्य परीक्षा प्रक्रियाधीन दिनांक 30.05.2013									
		अजा			0	2128	949	3077										
		अजजा			0	1947	589	2536										
		अपिव			0	6719	1975	8694										
		विपिव			0	601	74	675										
		सा.			0	7120	2924	10044										
7	प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा विभाग) परीक्षा, 2011																	
	1. प्राध्यापक— उर्दू	कुल	2	0	2	373	220	593	173	95	268	2	0	2		2	0	2
		अजा	1	0	1	35	4	39	14	1	15	1	0	1		1	0	1
		अजजा	0	0	0	7	0	7	3	0	3	0	0	0		0	0	0
		अपिव	0	0	0	218	107	325	97	44	141	0	0	0		0	0	0
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		सा.	1	0	1	113	109	222	59	50	109	1	0	1		1	0	1
	2. प्राध्यापक— अंग्रेजी	कुल	118	49	167	6079	5559	11638	3331	2670	6001	109	58	167		96	54	150

		अजा	28	12	40	1004	438	1442	591	243	834	28	12	40				27	11	38
		अजजा	55	23	78	604	241	845	338	141	479	52	26	78				41	23	64
		अपिव	22	9	31	2451	1818	4269	1367	943	2310	22	13	35				21	13	34
		विपिव	1	0	1	104	39	143	59	21	80	2	0	2				2	0	2
		सा.	12	5	17	1916	3023	4939	976	1322	2298	5	7	12				5	7	12
	3. प्राध्यापक— वाणिज्य	कुल	190	78	268	5072	3826	8898	3532	2420	5952	189	79	268				182	78	260
		अजा	31	13	44	798	268	1066	537	195	732	32	13	45				30	13	43
		अजजा	24	10	34	289	67	356	199	46	245	24	10	34				21	10	31
		अपिव	42	17	59	1907	935	2842	1360	598	1958	72	24	96				72	24	96
		विपिव	2	0	2	53	18	71	40	12	52	2	1	3				2	1	3
		सा.	91	38	129	2025	2538	4563	1396	1569	2965	59	31	90				57	30	87
	4. प्राध्यापक— भौतिक शास्त्र	कुल	96	38	134	2020	767	2787	1452	508	1960	96	38	134				96	37	133
		अजा	18	7	25	205	41	246	153	32	185	18	8	26				18	8	26
		अजजा	14	5	19	94	7	101	69	5	74	14	5	19				14	4	18
		अपिव	21	8	29	783	252	1035	596	182	778	42	12	54				42	12	54
		विपिव	1	0	1	17	0	17	14	0	14	2	0	2				2	0	2
		सा.	42	18	60	921	467	1388	620	289	909	20	13	33				20	13	33
	5. प्राध्यापक— गणित	कुल	37	14	51	2486	1338	3824	1466	671	2137	37	14	51				33	12	45
		अजा	6	2	8	237	74	311	145	48	193	6	2	8				6	2	8
		अजजा	15	6	21	115	23	138	62	13	75	15	6	21				11	5	16
		अपिव	8	3	11	1095	392	1487	684	218	902	10	4	14				10	3	13
		विपिव	0	0	0	31	6	37	21	3	24	0	0	0				0	0	0
		सा.	8	3	11	1008	843	1851	554	389	943	6	2	8				6	2	8

6. प्राध्यापक— जीव विज्ञान	कुल	59	23	82	4215	4557	8772	2887	2476	5363	59	23	82			59	21	80
	अजा	10	3	13	1030	561	1591	744	350	1094	12	3	15			12	3	15
	अजजा	7	3	10	465	235	700	313	154	467	7	3	10			7	2	9
	अपिव	13	5	18	1586	1575	3161	1118	839	1957	23	11	34			23	11	34
	विपिव	1	0	1	50	25	75	37	19	56	3	0	3			3	0	3
	सा.	28	12	40	1084	2161	3245	675	1114	1789	14	6	20			14	5	19
7. प्राध्यापक— रसायन शास्त्र	कुल	96	38	134	5239	4132	9371	3704	2491	6195	96	38	134			88	35	123
	अजा	16	6	22	902	0	902	641	258	899	16	6	22			14	6	20
	अजजा	12	5	17	422	147	569	286	100	386	12	5	17			9	4	13
	अपिव	21	8	29	2133	1620	3753	1541	1011	2552	46	14	60			44	12	56
	विपिव	1	0	1	71	30	101	53	15	68	1	1	2			1	1	2
	सा.	46	19	65	1711	1958	3669	1183	1107	2290	21	12	33			20	12	32
8	सहायक वन संरक्षक परीक्षा, 2011	कुल	26	7	33	15914	3172	19086	परिणाम प्रक्रियाधीन है।									
		अजा	4	1	5	3250	485	3735										
		अजजा	3	0	3	2058	255	2313										
		अपिव	5	1	6	5895	1155	7050										
		विपिव	0	0	0	222	32	254										
		सा.	14	5	19	4489	1245	5734										
9	प्रधानाध्यापक प्रतियोगी परीक्षा, 2012	कुल	1467	626	2093	78693	22647	101340	55812	14552	70364	1446	626	2072		1324	410	1734
		अजा	234	100	334	14714	2824	17538	10357	1822	12179	244	102	346		207	68	275
		अजजा	176	75	251	11328	2213	13541	7899	1500	9399	179	76	255		161	50	211
		अपिव	308	131	439	29872	7330	37202	20998	4545	25543	670	282	952		625	185	810
		विपिव	14	6	20	1550	134	1684	1112	89	1201	30	8	38		25	6	31
		सा.	735	314	1049	21229	10146	31375	15446	6596	22042	323	158	481		306	101	407
10	सहायक अभियन्ता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2013	कुल			324			16598	विज्ञापन दिनांक 07.03.2013									
		अजा			0			0										

		अजजा			0			0										
		अपिव			0			0										
		विपिव			0			0										
		सा.			324			16598										
11	मोटर वाहन उप निरीक्षक परीक्षा, 2011	कुल	31	10	41	1598	57	1655	744	31	775	115	9	124	86	4	90	माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार साक्षात्कार का परिणाम घोषित हुआ।
		अजा	10	4	14	255	5	260	112	1	113	41	1	42	28	0	28	
		अजजा	12	4	16	236	3	239	116	1	117	48	1	49	33	0	33	
		अपिव	6	2	8	460	21	481	226	10	236	18	6	24	19	2	21	
		विपिव	0	0	0	13	0	13	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
		सा.	3	0	3	634	28	662	288	19	307	8	1	9	6	2	8	
12	लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा, 2011	कुल	279	116	395	40284	8000	48284	19383	3151	22534	376	19	395				469 19 488
		अजा	28	12	40	7599	1173	8772	3133	319	3452	43	2	45				62 2 64
		अजजा	21	9	30	6995	1020	8015	2683	307	2990	31	2	33				40 2 42
		अपिव	67	27	94	11520	1899	13419	5761	718	6479	138	4	142				138 4 142
		विपिव	4	0	4	606	61	667	290	27	317	5	0	5				5 0 5
		सा.	159	68	227	13564	3847	17411	7516	1780	9296	159	11	170				224 11 235
13	कनिष्ठ लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा, 2011	कुल	648	276	924	उपरोक्तानुसार									93	0	93	
		अजा	103	44	147										19	0	19	
		अजजा	77	33	110										9	0	9	
		अपिव	136	58	194										0	0	0	
		विपिव	7	2	9										0	0	0	
		सा.	325	139	464										65	0	65	
14	उप निरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2010	कुल	405	168	573	198882	35123	234005	151885	25692	177577	45023	5026	50049	1353	562	1915	1213 504 1717
		अजा	68	28	96	39121	5644	44765	29834	3830	33664	8503	547	9050	186	70	256	162 62 224
		अजजा	58	23	81	35909	5073	40982	27217	3560	30777	6912	491	7403	145	50	195	129 43 172
		अपिव	51	21	72	81253	16841	98094	62517	12357	74874	20551	2755	23306	731	305	1036	673 276 949

		विपिव	5	1	6	6391	772	7163	5115	597	5712	1566	101	1667	47	11	58	45	11	56
	सा.	223	95	318	36208	6793	43001	27202	5348	32550	7491	1132	8623	244	126	370	204	112	316	
15	वरिष्ठ अध्यापक (ग्रेड ।।) माध्यमिक शिक्षा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011																			
	1. गणित	कुल	1682	691	2373	17145	6009	23154	12906	4657	17563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अजा	272	113	385	1839	248	2087	1468	185	1653	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अजजा	257	103	360	993	68	1061	729	31	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अपिव	352	145	497	6809	1749	8558	5623	1471	7094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विपिव	20	0	20	232	29	261	196	24	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सा.	781	330	1111	7272	3915	11187	4890	2946	7836	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. विज्ञान	कुल	1682	691	2373	44537	28914	73451	34950	23156	58106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अजा	272	113	385	8324	2876	11200	6967	2366	9333	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अजजा	257	103	360	4764	1250	6014	3771	1003	4774	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अपिव	352	145	497	18670	11260	29930	15326	9292	24618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विपिव	20	0	20	782	246	1028	662	195	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सा.	781	330	1111	11997	13282	25279	8224	10300	18524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. अंग्रेजी	कुल	1682	691	2373	37691	26451	64142	29622	21427	51049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अजा	272	113	385	6569	2083	8652	5412	1707	7119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अजजा	257	103	360	3264	998	4262	2559	811	3370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अपिव	352	145	497	15776	9673	25449	13012	7982	20994	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		विपिव	20	0	20	1066	249	1315	893	204	1097	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		सा.	781	330	1111	11016	13448	24464	7746	10723	18469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. हिन्दी	कुल	1682	691	2373	146669	114636	261305	114880	96661	211541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अजा	272	113	385	31257	16372	47629	27104	14031	41135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		अजजा	257	103	360	27913	12178	40091	23725	10275	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2258

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार संशोधित परिणाम प्रतीक्षित है।

			अपिव	352	145	497	49301	45494	94795	42341	38626	80967	0	0	0	0	0	0
			विपिव	20	0	20	4539	1503	6042	3928	1282	5210	0	0	0	0	0	0
			सा.	781	330	1111	33659	39089	72748	17782	32447	50229	0	0	0	0	0	0
	5. सामाजिक विज्ञान	कुल	1682	691	2373	235713	144359	380072	177408	110873	288281	0	0	0	0	0	0	
		अजा	272	113	385	47566	21738	69304	39305	17055	56360	0	0	0	0	0	0	
		अजजा	257	103	360	42336	14490	56826	34958	11225	46183	0	0	0	0	0	0	
		अपिव	352	145	497	88166	60383	148549	71769	46279	118048	0	0	0	0	0	0	
		विपिव	20	0	20	6628	1804	8432	5487	1385	6872	0	0	0	0	0	0	
		सा.	781	330	1111	51017	45944	96961	25889	34929	60818	0	0	0	0	0	0	
16	शीघ्रलिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2011 1. शासन सचिवालय	कुल	74	26	100	6108	887	6995	3238	365	3603	0	0	0	0	0	0	
		अजा	12	4	16	948	132	1080	443	52	495	0	0	0	0	0	0	
		अजजा	10	2	12	741	92	833	357	31	388	0	0	0	0	0	0	
		अपिव	14	6	20	1873	261	2134	994	114	1108	0	0	0	0	0	0	
		विपिव	0	0	0	97	4	101	58	0	58	0	0	0	0	0	0	
		सा.	38	14	52	2449	398	2847	1386	168	1554	0	0	0	0	0	0	
	2. अधीनस्थ कार्यालय	कुल	356	150	506	उपरोक्तानुसार						0	0	0	0	0	0	
		अजा	56	24	80							0	0	0	0	0	0	
		अजजा	42	18	60							0	0	0	0	0	0	
		अपिव	75	31	106							0	0	0	0	0	0	
		विपिव	4	1	5							0	0	0	0	0	0	
		सा.	179	76	255							0	0	0	0	0	0	
17	वरिष्ठ अध्यापक (ग्रेड II) प्राथमिक शिक्षा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011	कुल	3053	1273	4326	प्रक्रियाधीन है।												
		अजा	499	209	708													
		अजजा	455	190	645													
		अपिव	641	271	912													
		विपिव	41	0	41													

		सा.	1417	603	2020															
18	विधि रचनाकार, विधि एवं विधिक कार्य विभाग परीक्षा, 2009	कुल	5	0	5	484	182	666	216	61	277	0	0	0	13	5	18	शासन को दिनांक 19.10.2012 को अभिस्तावना भेजी गई।		
		अजा	2	0	2	171	44	215	69	17	86	0	0	0	5	1	6			
		अजजा	1	0	1	59	14	73	20	5	25	0	0	0	2	2	4			
		अपिव	1	0	1	143	50	193	72	14	86	0	0	0	4	0	4			
		विपिव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		सा.	1	0	1	111	74	185	55	25	80	0	0	0	2	2	4			
19	कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2011																			
1.	राजस्थान लोक सेवा आयोग	कुल	27	10	37	101396	25290	126686	58691	12725	71416	0	0	0	0	0	0	कुल 33 अभ्यर्थी अभिस्तावित किये शेष प्रक्रियाधीन हैं।		
		अजा	5	2	7	20409	3931	24340	11100	1739	12839	0	0	0	0	0	0			
		अजजा	3	1	4	14275	2497	16772	7960	1114	9074	0	0	0	0	0	0			
		अपिव	5	2	7	36178	7920	44098	21089	3968	25057	0	0	0	0	0	0			
		विपिव	0	0	0	2379	302	2681	1450	153	1603	0	0	0	0	0	0			
		सा.	14	5	19	28155	10640	38795	17092	5751	22843	0	0	0	0	0	0			
2.	शासन सचिवालय	कुल	262	63	325	उपरोक्तानुसार						0	0	0	0	0	0	कुल 292 अभ्यर्थी अभिस्तावित किये शेष प्रक्रियाधीन हैं।		
		अजा	42	10	52							0	0	0	0	0	0			
		अजजा	32	8	40							0	0	0	0	0	0			
		अपिव	55	13	68							0	0	0	0	0	0			
		विपिव	3	0	3							0	0	0	0	0	0			
		सा.	130	32	162							0	0	0	0	0	0			
3.	अधीनस्थ कार्यालय	कुल	1113	472	1585	उपरोक्तानुसार						0	0	0	0	0	0	कुल 1076 अभ्यर्थी अभिस्तावित किये शेष प्रक्रियाधीन हैं।		
		अजा	175	74	249							0	0	0	0	0	0			
		अजजा	171	71	242							0	0	0	0	0	0			
		अपिव	223	95	318							0	0	0	0	0	0			

			विपिव	11	4	15						0	0	0	0	0	0				
			सा.	533	228	761						0	0	0	0	0	0				
			कुल	17818	7330	25472	1278742	554014	1849354	879293	393959	1273252	47731	5953	53684	1452	571	2023	3644	1190	10759 (4834+5925*)
			अजा	2873	1193	4066	255261	79549	334810	184222	56145	240367	8975	699	9674	219	71	290	551	178	729
			अजजा	2590	1051	3641	207711	56694	264405	148012	39665	187677	7313	626	7939	180	52	232	442	144	586
			अपिव	3694	1521	5215	451684	206374	658058	329259	151389	480648	21623	3130	24753	754	307	1061	1677	545	2222
			विपिव	205	15	220	33286	6789	40075	25283	5037	30320	1612	112	1724	47	11	58	86	20	106
			सा.	8456	3550	12330	330800	204608	552006	192517	141723	334240	8208	1386	9594	252	130	382	888	303	1191
			नोट:- * अभिस्तावित अभ्यर्थियों का वर्गवार चयन उपलब्ध नहीं है।																		

